नगर परिषद कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2012 भाग–एक

1 (i) प्रारम्भिकः—

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप सरकार द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन करने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1–376/81–फिन(एल०ए०) –खण्ड–IV दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद कुल्लू, जिला कुल्लू के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

नगर परिषद कुल्लू में अंकेक्षणाधीन अवधि 4/10 से 3/12 में निम्नलिखित प्रधान/कार्यकारी अधिकारी कार्यरत्त रहेः—

प्रधानः–

क्र0सं0	प्रधान का नाम	अवधि
1	श्री गोपाल कृष्ण महन्त	4/10 से 17.1.2011 (F.N)
2	श्री ऋषभ कालिया	17.1.2011 से 3/2012

कार्यकारी अधिकारी:-

क्र0सं0	कार्यकारी अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री मोहिन्द्र कुमार (कार्यकारी अधिकारी)	4 / 10 से 9 / 11
2	श्री चन्दन कपूर (तहसीलदार)	20.9.2011 से 24.10.2011
3	श्री सिद्धार्थ आचार्य (तहसीलदार)	25.10.2011 से 22.11.2011
4	श्री अश्वनी सूद (तहसीलदार)	23.11.2011 से 7.11.2011
5	श्री विनोद कुमार शर्मा	8.11.2011 से 3/2012
	(कार्यवाहक कार्यकारी अधिकारी)	

(ii) नगर परिषद कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2010 से 31.3. 2012 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवदन में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

क्र0सं0	गम्भीर अनियमितता का सार	पैरा सं0	राशि
			₹
			लाख
1	गृहकर, दुकानों, बूथों के किराये, बायोमैडिकल बेस्ट की वसूली	6	48.71

	बारे ।		
2	होटलों व गैस्ट हाऊसों से कम गृहकर मूल्य निर्धारण बारे।	7	15.10
3	गृहकर में छूट देने बारे।	8	18.55
4	जिला चुनाव अधिकारी कुल्लू से भवन की वसूली बारे।	10	7.20
5	मोबाईल टावरों की स्थापना एवं नवीनीकरण फीस की वसूली	21	0.60
	न करना।		
6	वाहनों की पार्किंग से सम्बन्धित ठेकेदारों से वसूली न करना।	22	1.90
7	शौचालयों की नीलामी से प्राप्त आय में कमी बारे।	25	1.00
8	वेतन के गलत निर्धारण फलस्वरूप अधिक किये गये भुगतान	30 & 31	1.55
9	अग्रिम राशि का समायोजन शेष।	42	19.54

(iii) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः—

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण के परिशिष्ट **"I-क"** में दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः परिषद द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष कार्रवाई सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

नगर परिषद कुल्लू के अवधि 1.4.2010 से 31.3.2012 के लेखाओं का अंकेक्षण, श्री तारा चन्द महन्त सहायक नियन्त्रक लेखा परीक्षा, श्री मोहिन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री पुनीत कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा 5.6.2012 से 25.7.12 के दौरान किया गया। लेखा परीक्षण के लिये माह 4/2010, 3/2011, 10/2011 व 4/2011 के लेखाओं का चयन किया गया।

"नगर परिषद कुल्लू के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। किसी प्रकार की अधूरी अथवा उपलब्ध न करवाई गई सूचना के लिये लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा क्योंकि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण चयनित मासों तक ही सीमित रखा गया है।"

3 अंकेक्षण शुल्कः-

नगर परिषद कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के अवधि 4 ⁄ 2010 से 3 ⁄ 2012 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क का आंकलन ₹45,600 ⁄ –किया गया है जिस का ब्यौरा परिशिष्ट "I–ख" मे दिया गया है। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद कुल्लू, हिमाचल प्रदेश का सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) की अधियाचना संख्या (ए०सी०) आडिट फिन(एल०ए०डी) 89 दिनांक 25.7.12 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की ₹45600 / –को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को भिजवाने का अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः-

(i) नगर परिषद कुल्लू के अवधि 4/2010 से 3/2012 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार निम्न प्रकार है जिसका ब्यौरा परिशिष्ट"I-ग" पर दिया गया है।

(क) मुख्य रोकड़ वही:-

वर्ष	गतशेष	आय	कुल जमा	भुगतान	अन्तशेष
2010-11	5167379	44389841	49557220	40781561	8775659
2011-12	8775659	53374493	62150152	49136985	13013167

दिनांक 31.3.2012 को बैंक वार विवरण:-

बैक नाम	खाता संख्या	राशि (रै)			
पी0एन0बी0	2425	272155.87			
पी0एन0बी0	168824	10914527.00			
पी0एन0बी0	1921	123537.41			
पी0एन0बी0	12804	5882.00			
पी0एन0बी0	5652	91386.00			
के०सी०सी०बैंक	2316	35944.00			
–यथोपरि–	1621	7518.00			
ओ0बी0सी0	613	4236.00			
जे एंड के बैंक	3081	1016986.00			
यू०वी०आई०	938	48473.14			
केनरा बैंक	4481	197432.00			
युको बैंक	4959	585786.00			
आई०डी०वी०आई०	6019	85931.00			
बैंको में जमा राशि व	ज्ञ दिनांक 31.3.	1,33,89,794			
2012 को जोड़					
बैंक समाधान विवरणीः—					
रोकड़ वही के मुताबिक 31.3.2012 तक अन्तिम शेष					
विभिन्न बैकों में दिनांक 31.3.2012 तक अन्तिम शेष					
াখি		376627			
	पी०एन०बी० पी०एन०बी० पी०एन०बी० पी०एन०बी० पे०एन०बी० के०सी०सी०बैंक –यथोपरि– ओ०बी०सी० जे एंड के बैंक यू०वी०आई० केनरा बैंक युको बैंक आई०डी०वी०आई० बैंको में जमा राशि व ठो जोड़ गाधान विवरणी :– ही के मुताबिक 31.3.2012 बैंकों में दिनांक 31.3.2012	पी०एन०बी० 2425 पी०एन०बी० 1921 पी०एन०बी० 1921 पी०एन०बी० 12804 पी०एन०बी० 5652 के०सी०सी०बैंक 2316			

अन्तर की राशि का समाधानः-

(1)	संस्था	द्वारा निम्न	विवरणानुसार	दिनांक	31.3.2012	तक	जारी	चैक	रोकड़	वही	से	घटाये
गय	है पर•	त्तु पास बुक	में 31.3.2012	के बाद	घटाये गये	है ।						
	<u>क</u> 0	बैंक नाम	चैक सं	ख्या	दिनांक	ਹ	ागि (₹ \				

क्र0	बैंक नाम	चैक संख्या	दिनांक	राशि (रै)
सं0				
1	यूको बैंक	362678	14.2.2012	11443
2	यूको बैंक	243294	16.3.2012	11522
3	यूको बैंक	235057	19.3.2012	1415
4	यूको बैंक	235063	21.3.2012	13079
5	यूको बैंक	235065	21.3.2012	210
6	यूको बैंक	235067	21.3.2012	15684
7	यूको बैंक	235068	21.3.2012	30910
8	यूको बैंक	235069	21.3.2012	695
9	यूको बैंक	235070	23.3.2012	21881
10	यूको बैंक	235071	23.3.2012	1071
11	यूको बैंक	235072	23.3.2012	5000
12	यूको बैंक	235076	30.3.2012	61000
13	यूको बैंक	235078	30.3.2012	5700
14	यूको बैंक	235079	30.3.2012	4475
15	पी0एन0बी0 21	284071	3.3.2012	100000
16	पी0एन0बी0	222393	21.3.2012	3144
	168824			
17	–यथोपरि–	222394	23.3.2012	44157
18	–यथोपरि–	222395	23.3.2012	993
				₹332379

(2) संस्था द्वारा निम्न विवरणानुसार प्राप्त आय के चैकों को दिनांक 31.3.2012 को रोकड़ वही में जमा दर्शाया गया परन्तु यह चैक पास बुक मे दिनांक 31.3.2012 के बाद जमा दर्शाए गये।

क्र0सं0	बैक	राशि (रै)
1	यूको बैंक 4959	36424
2	पी0एन0बी0 24255	8000
3	–यथोपरि–	1185
4	–यथोपरि–	2250

(3) संस्था द्वारा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से अपने ओन लाईन बचत खाते में दिनांक 31.3.2012 को गृहकर की जमा राशि प्राप्त की जिसको 31.3.2012 के बाद रोकड़ वही में दर्शाया गया =₹92107

कुल अन्तर की राशि=332379+92107-47859=376627

(ख) IDSMT रोकड़ वही:-

वर्ष	गतशेष	ब्याज	आय	कुल जमा	भुगतान	अन्तशेष	
2010-11	2475177	1142225	_	2589402	1230017	1359385	
2011-12	1359385	49662	—	1409047	998559	410488	
रोकड़ वही अनुसार 31.3.12 को अन्तशेष							
	410488						

(ग) NORAD रोकड़ वही:-

वर्ष	गतशेष	ब्याज	आय	कुल जमा	भुगतान	अन्तशेष
2010-11	5823		_	5823	_	5823
2011-12	5823	_	_	5823	_	5823
		रोकड़ वही अनुसार अन्तशेष				₹5823
		बैंक खाता संख्या SF 6022 में 2.9.10 को जमा राशि				₹4950
		गत रिपोर्ट का अन्तर				₹873

(घ) ठोस कचरा, प्रबन्धन रोकड़ वही:--

(Solid waste Menegement Project)

वर्ष	गतशेष	ब्याज	आय	कुल जमा	भुगतान	अन्तशेष
2010-11	107898	_	898296	1006194	933828	72366
2011—12	72366	_	1019557	1091923	843787	248136
		रोकड़ वही	अनुसार 31.3.2	2012 को अन्त	াহাষ	₹248136
		बैंक खाता	संख्या ७८०१	में दिनांक 3	1.3.2012 को	₹218816
		जमा राशि				
		बैक खाता	। संख्या 6022	में दिनांक	31.3.12 को	₹3120
		जमा राशि				
		कुल राशि				₹221936
		अन्तर (रै 2	48136—₹22193	36)		₹26200

दिनांक	राशि	चैक सं0	बैंक में प्राप्त आय की
			तिथि
29.3.12	6000	000596	3.4.12
30.3.12	19000	7167127400	3.4.12
31.3.12	1200	021421	5.4.12
	₹26200		

चैक द्वारा प्राप्त आय रोकड़ वही में दर्ज की गई लेकिन बैंक पास बुक में दिनांक 31.3.2012 तक दर्ज नही हुई:—

(ड.) निवेश:-

नगर परिषद कुल्लू द्वारा अवधि 1.4.2010 से 31.3.2012 तक के दौरान कोई दीर्धकालीन निवेश नहीं किया गया।

5 अनुदानः–

(i) नगर परिषद कुल्लू को वर्ष 4 / 10 से 3 / 12 तक सरकार व अन्य संस्थाओं से अनुदान के रूप में प्राप्त राशि का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवदन के परिशिष्ट "I—घ" में दिया गया है।

(ii) नगर परिषद कुल्लू में अवधि 4/10 से 3/12 के दौरान विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त अनुदान राशियों की अनुदान रजिस्टर से जांच पड़ताल करने पर तथा नगरपरिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि उपरोक्त परिशिष्ट "I-घ" के अनुसार दिनांक 31.3.2012 ₹2,20,69,153/-तक अन्तशेष था। यह राशि विभिन्न संस्थाओं से विकास कार्यो हेतु आय हुई थी जबकि इसके विपरीत रोकड़ वही के अनुसार दिनांक 31.3. 2012 को अध्याधिक कम राशि शेष थी। इस बारे में सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) की अधियाचना संख्या आडिट 84 दिनांक 18.7.2012 द्वारा कार्यकारी अधिकारी से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था तथा कार्यकारी अधिकारी कुल्लू द्वारा अपने पत्र संख्या एम0सी0के0 (एफ.ए.12 1334) दिनांक 28.7.2012 द्वारा सूचित किया गया कि उपरोक्त अनुदान की राशि में से ₹9033986/-नगर परिषद के कर्मचारियों के वेतन व अन्य खर्चों पर व्यय किये गये है जोकि अनियमित है। अतः उपरोक्त अधिक खर्च की गई राशि को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाये अन्यथा इस की भरपाई उचित स्त्रोतो से की जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

6 नगर परिषद द्वारा ₹4871520 / –वसूली हेतु शेषः–

नगर परिषद कुल्लू के अंकेक्षण अवधि 4 ⁄ 10 से 3 ⁄ 12 के अंकेक्षण में कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार निम्न विवरणानुसार ₹48,71,520 ⁄ –

गृहकर, दुकानों व भवनों क किराये, महिला छात्रावास, बूथ का किराया, बायोमैडिकल वेस्ट के रूप में दिनांक 31.3.2012 को वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट II से VI में दिया है। नगर परिषद की आय के अपने स्त्रोत पहले ही बहुत सीमित है तथा जो भी आय के स्त्रोत है उनकी वसूली भी सही ढ़ंग से नहीं हो रही है जो कि चिन्ताजनक है परिणामस्वरूप नगर परिषद के विकास कार्य प्रभावित हो रहे है। यदि नगर परिषद की अपनी आय के स्त्रोतो की तुलना व्यय सें की जाये तो अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार अपने स्त्रोतो की आय वर्ष 2010–11 ₹2,29,94,155⁄–वर्ष 2011–12 में ₹20546198/- थी जबकि इस अवधि में वेतन पर व्यय क्रमशः ₹24373331/-व ₹26887628 / –था। अतः वर्ष 2010–11 मे वेतन पर व्यय ₹1379176 / –व वर्ष 2011–12 में ₹6341430/–उस वर्ष की अपने स्त्रोतो की आय से अधिक पाया गया। इस प्रकार शेष व्यय अनुदानों में किया गया राज्य प्रतीत होता है। यदि सरकारी अनुदान बन्द हो जाता है तो नगर परिषद को अपने स्त्रोतो से वेतन का अनुदान करना आसान नहीं होगा। यह प्रकरण उच्च अधिकारियो के ध्यान में इस आश्य से लाया जाता है कि नगर परिषद प्रशासन को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं कि वह अपने आय के साधनों को बढ़ाने का प्रयास करें तथा बकाया राशि की वसूली हेत् विशेष कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस सन्दर्भ में अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये। वसूली योग्य राशि का विवरण निम्न प्रकार से है:--

1	गृह कर	2232203
2	दुकानो का किराया	1871646
3	महिला छात्रावास	21300
4	बूथ का किराया	574025
5	बायो मैडिकल वेस्ट	172346
	कुल राशि	₹4871520

7

नगर परिषद द्वारा होटलों व गैस्ट हाऊसों से गृहकर मूल्य का कम निर्धारण करने के फलस्वरूप ₹1510708 ⁄ –की क्षतिः–

अंकेक्षण अवधि 4/10 से 3/12 के दौरान होटलो व गैस्ट हाउसों के गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रह के रजिस्टर/अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि परिषद द्वारा शहर मे स्थित विभिन्न होटलों व गैस्ट हाऊसों से बहुत ही कम गृहकर लगाया गया है। नगर परिषद द्वारा होटलों व गैस्ट हाऊसो के कमरों का अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नहीं किया है जिसके अभाव में यह मालूम नहीं किया जा सका कि होटलों व गैस्ट हाऊसों में कितने सैट कमरों के है तथा दैनिक किराया किस दर पर उन सैटों से वसूल किया जा रहा है। अतः इस प्रकरण में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग के पंजीकृत होटलों व गैस्ट हाऊसों की सूची प्राप्त अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई उसी के आधार पर 60 दिनों की Occupency व उस पर 40% की दर से 12.5% की दर से गृहकर का निर्धारण करके जो गृहकर वसूली योग्य बनता है तथा जो अवधि 4/10 से 3/12 के होटल मालिका गैस्ट हाऊस मालिको से लेना बनता है

उसकी गणना करके जो अन्तर निकाला गया है उसका विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट VII मे संलग्न है। अतः कम वसूली की गई राशि की अपेक्षित जांच संस्था पर करके वस्तु स्थिति में अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा इस प्रकरण में तदानुसार आगामी अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए।

8 नगर परिषद द्वारा वर्ष 2010—11 के दौरान गृहकर में ₹1778315/—तथा वर्ष 2011—12 में ₹76803/—की छट देने बारेः—

अंकेक्षण अवधि 4/10 से 3/12 के दौरान परिषद द्वारा वर्ष 2010–11 में गृह करदाताओं को ₹1778315/–की तथा वर्ष 2011–12 में ₹76803/–की छूट दी गई थी जिसका विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट VIII में भी दिया गया है। अतः गृहकर में छूट देने का औचित्य नियमों के अधीन स्पष्ट किया जाये तथा गृहकर में छूट देने से परिषद की आय में हुई कमी का दायित्व निर्धारित करते हुए इस प्रकरण में उचित कार्रवाई की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9 नगर परिषद द्वारा पुलिस विभाग को दिये गये विभिन्न भवनों के किराये का मुल्य निर्धारण करने बारे:-

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार परिषद द्वारा पुलिस विभाग को विभिन्न कमरें किराये पर दिये है जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट IX में दिया गया है। नगर परिषद द्वारा इन कमरों को किराये पर देने के लिए न तो कोई किराया निर्धारित किया गया और न ही इन भवनों के किराये की वसूली की जा रही है। अतः पुलिस विभाग को दी गई आवास सुविधा के एवज में भवन का उचित किराया तथा बिजली के बिल की अदायगी निर्धारित करते हुये वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10 नगर परिषद द्वारा जिला चुनाव अधिकारी (उपायुक्त) कुल्लू से कार्यालय भवन के किराये की ₹720000 / –की वसूली बारेः–

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर परिषद का ढालपुर स्थित एक भवन चुनाव अधिकारी कुल्लू को किराये पर दिया गया है जिसका बकाया अवधि 3/2012 को ₹7,20,000/–बनता है तथा जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट IX (A) में नगर परिषद द्वारा सत्यापित किया गया है। अतः इसकी वसूली अतिशीध्र उपायुक्त कार्यालय कुल्लू से की जाये तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शायी जाये।

11 नगर परिषद द्वारा ₹200 / – को जमा न करवाये जाने बारेः–

अंकेक्षण अवधि 4 / 10 से 3 / 12 के दौरान तहबाजारी की निम्न रसीदों से प्राप्त राशि को जमा नहीं करवाया गया था। तत्पश्चात यह राशि अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर जी–8 सं0 13 / 726 दिनांक 25.7.2012 द्वारा जमा करवा दी गई। इस राशि का रोकड़ वही में ईन्द्राज आगामी अकेक्षण में दर्शाया जाये तथा साथ में नगर परिषद में अन्तरित पड़ताल को सुदृढ़ किया जाये ताकि ऐसे प्रकरणों की पुनरावृति न हो।

तहबाजारी रजिस्टर पेज संख्या	माह / वर्ष	आर–4 रसीद संख्या	प्राप्त राशि	जमा करवाई गई राशि	कम जमा करवाई गई राशि
91	4 / 2010	<u>168 से 200</u> 123 व <u>1 से 13</u> 124	2470	2270	200

12 भवन निर्माण शुल्क ₹942/-की कम वसूली करनाः-

नगर परिषद कुल्लू के अंकेक्षण अवधि 4 / 10 से 3 / 12 के भवन निर्माण शुल्क के अभिलेख की छानबीन करने पर पाया गया कि परिशिष्ट X में दर्शाये गये मकान मालिको से भवन निर्माण शुल्क की निर्धारित दर से कम दर पर वसूली की गई थी। अतः कम वसूल की गई ₹942 / – की वसूली की जाये तथा अनुपालना आगामी के दौरान दिखाई जाए।

13 नगर परिषद द्वारा दशहरा मेले के शेयर के विरूद्ध विवरण उपलब्ध न करवानाः—

दशहरा उत्सव का आयोजन नगर परिषद व उपायुक्त कुल्लू द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। अंकेक्षण को मौखिक तौर पर बताया गया कि ढालपुर मैदान की सीमा कें भीतर प्लाटों की नीलामी व तहबाजारी की वसूली उपायुक्त कार्यालय द्वारा की जाती है जिसमें से 37 प्रतिशत भाग नगर परिषद को दिया जाता है। उपरोक्त प्रतिशत के सम्बन्ध मे नगर परिषद का कोई प्रस्ताव अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया गया तथा न ही ऐसा कोई निर्णय दर्शाया गया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि नगर परिषद को प्लांटो की नीलामी तथा तहबाजारी की 37% भाग ही मिलना है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि में उपायुक्त कार्यालय से उपरोक्त शंयर के विरुद्ध निम्न राशियां प्राप्त हुई, लेकिन इन वर्षों में कुल कितनी राशि की वसूली हुई तथा क्या कुल वसूली के विरुद्ध तथा कथित देय शयर पूर्ण रूप सें प्राप्त हो गया था अथवा नहीं इनके बारे में कोई भी विवरण प्रस्तुत नहीं किया, परिणामस्वरूप अंकेक्षण के दौरान कुल देय शयर की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः सम्बन्धित कार्यालय से प्रत्येक मेले की वसूली के विरुद्ध विवरण प्राप्त करक वस्तु स्थिति की जांच संस्था स्तर पर की जाए तथा यदि निर्धारित शयर में कम राशि प्राप्त हुई हो तो इसकी वसूली की जाये तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

वर्ष	परिषद को प्राप्त राशि
2010-11	4200000
2011-12	3500000

14 नगर परिषद द्वारा विश्राम गृह के किराये की ₹1850/–की कम वसूली बारेः–

नगर परिषद कुल्लू के अंकक्षण अवधि 4/10 से 3/12 के विश्राम गृह आगन्तुक पंजिका के अवलोंकन पर पाया गया कि परिशिष्ट XI में दर्शाई गई ₹1850/–की कम वसूली की गई है। अतः कम वसूल की गई राशि का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा कम वसूल की गई राशि को उचित स्त्रोत से वसूल करके अनुपालना आगामो अंकेक्षण में दिखाई जाये।

15 नगर परिषद द्वारा सिनेमा व वीडियों घरों से फिल्म प्रदर्शन टैक्स (Show Tax) का नहीं लिया जानाः—

नगर परिषद कुल्लू के अवधि 4/10 से 3/12 के अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि कुल्लू शहर में विभिन्न सिनेमा घरों/वीडियों हॉल से सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0—डी0(1)—9/94 दिनांक 24.8.2000 द्वारा निर्धारित ₹50/—प्रति प्रदर्शन (Show) की दर में वसूली नहीं की गई है। अतः शहर में स्थापित सिनेमा घरों/वीडियो हॉलों को चिन्हित किया जाये तथा आरम्भ से ही प्रदर्शन कर (Show Tax) की गणना करने के उपरान्त सिनेमा घर/वीडियों हॉल मालिको से अपेक्षित वसूली की जाये तथा अनुपालना की जांच आगामी अंकेक्षण में करवाई जाए।

16 नगर परिषद द्वारा रविवार के दिन तहबाजारी की वसूली नहीं करने बारे:-

नगर परिषद कुल्लू द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/10 से 3/12 के दौरान की गई तहबाजारी फीस की वसूली से सम्बन्धित अभिलेख की छानबीन पर पाया गया कि परिषद द्वारा रविवार के दिन तहबाजारी की वसूली नहीं की जा रही थी जबकि चर्चा में बताया गया कि रविवार के दिन भी कुल्लू शहर के विभिन्न स्थानों पर रेहड़ियाँ लगाई जाती है। अतः रविवार के दिन तहबाजारी की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा तुरन्त प्रभाव से रविवार के दिन की भी वसूली की जाये तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

17 नगर परिषद कुल्लू द्वारा कामकाजी महिला छात्रावास के नये इकरारनामें प्रस्तुत नहीं करनाः—

अंकेक्षण अवधि 4/10 से 3/12 के महिला छात्रावास के मांग व संग्रह अभिलेख की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि छात्रावास के कमरों के किराये के इकरारनामों का नवीनीकरण नहीं किया गया है जिसके अभाव में यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि कमरो के किराये में कितने वर्षों पश्चात व किस दर से बढ़ौतरी अपेक्षित थी तथा परिषद द्वारा यह बढ़ौतरी की गई है या नहीं। नगर पंरिषद द्वारा उपलब्ध करवाई सूचना के आधार पर इन इकरारनामों का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट XII में दिया गया है। अतः इन इकरारनामों की नवीन प्रतियां आगामी अंकेक्षण मे प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाये।

18 दुकानों के किराये के नये इकरारनामों को प्रस्तुत न करनाः--

नगर परिषद कुल्लू के अंकेक्षण अवधि 4/10 से 3/12 के दुकानों के रैन्ट मांग व संग्रह अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि परिषद द्वारा दुकानों/बूथों के किराये के नये इकरारनामे अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये अपितू केवल पुराने इकरारनामे प्रस्तुत किये गये जो काफी पुराने थे जिनके अभाव में यह पता नहीं चल सका कि दुकानों के किराये से कितने वर्षों में व किस दर से बढौतरी की जानी अपेक्षित थी तथा परिषद ने यह बढ़ौतरी की गई है या नहीं। परषिद द्वारा उपलब्ध सूचना के आधार पर इन इकरारनामों का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट XIII में दिया गया है। अतः इन दुकानों के नये इकरारनामों को आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

19 नगर परिषद द्वारा वकीलों व लिपिको को दिये गये बूथों के इकरारनामे को प्रस्तुत न करनाः—

नगर परिषद कुल्लू के अंकेक्षण अवधि 4/10 से 3/12 के दुकानों व बूथों के रैन्ट मांग व संग्रह अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि परिषद द्वारा बूथों के किराये के इकरारनामे अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिनके अभाव में यह पता नहीं चल सका कि बूथों के किराये के कितने वर्षों के पश्चात व किस दर से बढ़ौतरी की जानी अपेक्षित थी। परषिद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर इन इकरारनामो का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट XIV में दिया गया है। अतः इन बूथों के इकरारनामों को आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

20 नगर परिषद द्वारा गृहकर का निर्धारण गलत तरीके से करने तथा गृहकर पर छट देने बारे:--

अंकेक्षण अवधि 4/10 से 3/12 के दौरान नगर परिषद के गृहकर मांग व संग्रह अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि गृहकर का निर्धारण निदेशक शहरी विकास के पत्र संख्या वी0एल0बी–एच0सी0 (912/91) दिनांक 19.2.1997 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार न करके गलत तरीके से किया गया था तथा विभिन्न गृहकर धारकों व विभागों से वार्षिक गृहकर मात्र ₹10 / – से ₹200 / – तक लिया गया था तथा वार्षिक गृहकर की राशि पर 20% की छूट भी दी गई थी। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर इस प्रकार के गृहकर का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट XV में दिया गया है। अतः निदेशक के उपरोक्त पत्र के स्पष्टीकरण मे दर्शाई गई विधि द्वारा गृहकर का निर्धारण / अधिरोपित किया जाये ताकि नगर परिषद की आय में वृद्धि हो सके तथा विकास के कार्य सुचारू रूप से कार्यन्वित हो सके। इस सन्दर्भ में अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

21 मोबाईल कम्यूनीकेश टावरों को म्यूनीसिपल क्षेत्र मे स्थापित करने के परिणामस्वरूप बकाया ₹60000 / –की वसूली बारेः–

प्रधान सचिव (टी एंड सी पी) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या टी सी पी एफ (10)-6/2005 दिनांक 1.9.2006 द्वारा मोबाईल कम्यूनीकेशन टावरों को म्यूनीसिपल क्षेत्र में स्थापित करने हेतु बनाई गई नीति में विनिर्दिष्टत दिशा निर्देशों के अन्तर्गत सम्बन्धित नगर पालिका क्षेत्र में मोबाईल कम्यूनीकेशन टावरों को स्थापित करने की स्वीकृति पालिका से लेने के उपरान्त इन्सटालेशन फीस ₹10000/-तथा एक वर्ष के उपरान्त ₹5000/-रीनीयूल फीस के देय होगे। अंकेक्षण के दौरान कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद कुल्लू द्वारा प्रेषित आंकड़ों व मांग तथा वसूली रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि अवधि 31.3.2012 तक ₹60000/-(जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट XVI मे दिया गया है) वसूली हेतु शेष है। अतः इस राशि को अतिशीध वसूली करके म्यूनीसिपल फन्ड में जमा की जानी सुनिश्चित की जाए।

22 वाहनों की पार्किंग को नीलामी पर देने के उपरान्त ठेकेदारों से ₹190125/–की वसूली न करना तथा वसूली का उचित अभिलेख न रखनाः–

अंकेक्षण के दौरान वर्ष 2010–11 व 2011–12 की अवधि के दोरान ठेके पर दी गई वाहनों की पार्किंग की नीलामी से प्राप्त आय की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि विभिन्न ठेके पर दिये गये पार्किंग स्थलों से प्राप्त आय का उचित अभिलेख नही रखा गया है जिसके फलस्वरूप अंकेक्षण अवधि के दौरान पार्किंग स्थलों से नीलामी की प्राप्त आय का सत्यापन नहीं किया जा सका। अतः अनुपालना हेतु राय दी जाती है कि पार्किंग स्थलों को ठेके पर देने से प्राप्त नीलामी की आय के अभिलेख का उचित अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के अनुसार अवधि 31.3.2012 तक निम्नानुसार ठेके पर दिये गये पार्किंग स्थलों से प्राप्त नीलामी की आय शेष है जिसकी प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख / रसीद अंकेक्षण को नहीं दर्शाई गई है।

पार्किंग	ठेकेदार	अवधि	नीलामी	रसीद	प्राप्त	बकाया
का नाम	का नाम		राशि	संख्या	राशि	राशि
मोनाल	अमीत स्द	1.11.10 से	49000	_	_	49000
केफे		30.11.10				
अखाड़ा	युवराज	18.8.09 से	91000	18 / 347	25000	66000
बाजार	महन्त	17.7.10		दिनांक		
कुल्लू				14.7.10		
यथोपरि	यथेापरि	18.7.10 से	91500	41 / 507	22875	68625
		17.6.11		2.6.11		
जिला	श्री अरूण	1.7.10 से 31.	16500	44341	10000	6500
अस्पताल	कम्पोज	5.11		दिनांक		
कुल्लू	(Arun			19.6.10		
	Kampoj)					
				कुल बकाया	राशि	₹190125

अतः पार्किंग स्थलों को नीलामी पर दिए जाने से सम्बन्धित समस्त अभिलेख सत्यापनार्थ आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाएं।

23 कान्ट्रैक्ट की समय अवधि के पश्चात भी ठेकेदार द्वारा पार्किंग रखने के पार्किंग फीस ₹1162/- की वसूली बारेः-

संस्था द्वारा आखाड़ा बाजार कुल्लू की पार्किंग योग राज महन्त को अवधि 18.7.2010 से 17.6.2011 तक 11 महीनों तक ₹91500 / –पर ठेके पर दी गई परन्तु उपरोक्त पार्किंग निर्धारित अवधि के पश्चात अवधि 18.6.2011 से 30.6.2011 तक भी उक्त ठेकेदार के पास अनाधिकृत रूप से रही। नगर पालिका द्वारा अपने अवार्ड पत्र संख्या एम0सी0के0 टैक्स (11) 1367 दिनांक 25.6.2011 द्वारा यह पार्किंग आगामी 11 महीनों की अवधि हेतु ₹121000 / –पर दी गई। इस प्रकार योग राज महन्त द्वारा 13 दिनों तक अनाधिकृत रूप से पार्किंग स्थल की ₹1162(121000–91500=29500x13 / 330) की कम वसूली की गई जिसकी वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दर्शाई जाए।

24 वार्ड संख्या 1, 2, 3 की सफाई व्यवस्था हेतु ठेके के आबंटन के बारे में:--

नगर परिषद कुल्लू द्वारा अवधि 1.4.10 से 31.3.12 के दौरान वार्ड संख्या 1, 2, 3 की सफाई व्यवस्था हेतु किए गए ठेके के आबंटन से सम्बन्धित अभिलेख की जॉच पड़ताल करने पर निम्नलिखित अनियमितताये पाई गई:--

(i) अभिलेख के अवलोकन करने पर पाया गया कि वार्ड 1, 2, 3 की सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिये गय ठेके में 01.03.2012 से गत वर्षों की तुलना में आबंटन राशि में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर

विभिन्न श्रेणी के दैनिक वेतन की बढ़ौतरी के अनुरूप तर्क संगत नहीं है जिससे प्रतीत होता है कि गत वर्षों की तुलना में वर्ष 01.03.2012 में की गई वृद्धि तर्कसंगत नहीं है। अतः उक्त प्रकरण की संस्था स्तर पर छानबीन करने के उपरान्त वस्तु स्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

आबंटन पत्र सं0	दिनांक	अवधि	सफाई ठेका	अप्रत्याशित
			राशि प्रतिमाह	वृद्धि प्रतिशत
MCK/Sanitary/081103	29.8.08	1.9.08 से 31.8.10	119000	_
MCK/Sanitary/714	26.2.11	1.3.11 से 29.2.12	120000	_
MCK/Sanitary/102	29.2.12	1.3.12 से 28.2.13	168500	40%

(ii) इसके अतिरिक्त वार्ड संख्या 1, 2, 3 की सफाई व्यवस्था हेतु वोचर संख्या 27, माह 3/2011 द्वारा किये गये भुगतान बिल ₹119000/-की जॉच पड़ताल करने पर पाया गया कि न तो उक्त भुगतान के एवज में न तो दैनिक कार्य की प्रगति का ब्यौरा रखा गया था और न ही सम्बन्धित सफाई निरीक्षक व सफाई पर्यावेक्षक द्वारा बिल का सत्यापन किया गया था जबकि आबंटन पत्र संख्या MCK/Sanitary/08 दिनांक 29.8.08 की शत 3 के अनुसार भुगतान बिल सफाई निरीक्षक द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित था। अतः वार्ड 1,2,3 में सफाई व्यवस्था का दैनिक अभिलेख न रखने व भुगतान बिल को सत्यापित न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

25 शौचालय की नीलामी की राशि में कमी के बारे में:--

नगर परिषद कुल्लू के लेखों अवधि 4/10 से 3/12 के अभिलेख की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अवधि 16.6.10 से 15.6.11 के लिये ढालपुर स्थित शौचालय को श्रीमति विद्या देवी को ₹265000/-में नीलाम किया गया था जबकि अवधि 16.6. 11 से 15.6.12 के लिये इसी शौचालय को श्री मदन लाल को ₹165000/-में नीलाम किया गया। अतः शौचालय की नीलाम ₹100000/-की कमी दर्ज की गई जिस के बारे में संस्था स्तर छानबीन की जाये तथा नीलामी के लिए आरक्षित राशि तय न करने के बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुये अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

26 नगर पालिका कुल्लू की गाड़ी संख्या एच0पी0 34–3666 के द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नगर क्षेत्र से बाहर ले जाने बारे तथा अवधि 4/10 से 2/11 की वाहन की लॉग बुक प्रस्तुत न करने बारे:- (i) अंकेक्षण के दौरान नगर पालिका कुल्लू की गाड़ी संख्या एच0पी0 34–3666 की लॉग बुक की जांच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार कर्मचारियों द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के गाड़ी को नगर पालिका क्षेत्र से बाहर प्रयोग किया गया यद्यपि यह कर्मचारी गाड़ी का प्रयोग करने के पात्र नहीं था। अतः उक्त अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अनाधिकृत रूप से प्रयोग की गई गाड़ी की कुल किलोमीटर की देय दर के आधार पर अपेंक्षित वसुली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

			3. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	
दिनांक	स्थान	किलोमीटर	जिसने यात्रा की	उद्देश्य
16.2.11	कुल्लू से शिमला	241 कि0मी0	कनिष्ठ अभियन्ता	उल्लेख नहीं
				किया गया
17.2.11	शिमला से कुल्लू	247 कि0मी0	–यथोपरि–	–यथोपरि–
3.3.11	कुल्लू से पालमपुर व	358 कि0मी0	लेखाकार	आयकर से
	वापिसी कुल्लू			सम्बन्धित
				कार्यालय कार्य
14.9.11	–यथोपरि–	341 कि0मी	–यथोपरि–	–यथोपरि–
10.12.11	कुल्लू से नेरचौक व	175 कि0मी0	श्री विजय प्रकाश व	उल्लेख नहीं
	वापिस कुल्लू		श्री तेज सिंह चालक	किया

(ii) इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि 4/10 से 3/12 के दौरान परिषद के वाहन संख्या एचपी0–34 डी0 3100 को परिषद को विभिन्न कार्यो हेतु परिषद क्षेत्र से बाहर उपयोग में लाया गया जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट XVII में दिया गया हैं। गाड़ी को परिषद क्षेत्र से बाहर उपयोग किये जाने हेतु परिषद द्वारा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के कार्यालय आदेश अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये जिसे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(iii) नगर परिषद कुल्लू द्वारा वाहन संख्या एचपी0–34 3666 की अवधि 4/10 से 2/11 की लॉग बुक की जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिसे आगामी अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

27 म्यूनीसिपल कर्मचारियों को आबंटित सरकारी आवासीय अकोमोडेशन के अन्तर्गत स्टैन्डरड लाईसैन्स फीस की ₹17411 की कम वसूली:-

सामान्य प्रशासन विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या जी०ए०डी० (G.A.D)–3(सी) 14–2/97 दिनांक 21.9.2010 द्वारा स्टैन्डरड लाईसैन्स फीस में बढ़ौतरी की गई है परन्तु नगर परिषद कुल्लू द्वारा बढ़ी हुई दरों पर वसूली न करके निम्न विवरणानुसार ₹17411/–(रस्तिरह हजार चार सौ ग्यारह) की कम वसूली की गई है जिसकी अतिशीध्र वसूली की जानी सुनिश्चित करें।

नाम व पद	टाईप	लागू	जिस	अवधि	कम वसूली
----------	------	------	-----	------	----------

	आफ	दर	दर से		की राशि
	अकोमोडे		वसूल		
	शन		की गई		
श्री मोहिन्द्र सिंह कार्यकारी	टाईप—III	388	194	21.9.10 से	2587
अधिकारी				21.9.10	
श्री यशपाल चपड़ासी	टाईप—II	228	114	31.5.2012	2318
श्री अच्छर सिंह चौकीदार	टाईप—II	228	114	21.9.10 से	2318
				31.5.2012	
श्री जीवानन्द डासन्मैन	टाईप—II	228	114	यथोपरि	2318
श्री प्रकाश चन्द टोल गार्ड	टाईप—II	228	114	यथोपरि	2318
श्री प्रीतम चन्द सफाई	टाईप—II	228	114	यथोपरि	2318
कर्मचारी					
श्री ओम प्रकाश	टाईप—I	106	53	यथोपरि	1078
श्री कालीदास	टाईप—I	106	53	यथोपरि	1078
श्री जगदीश	टाईप—I	106	53	यथोपरि	1078
कुल कम वसूल की गई स्टैन्ड	उरड लाईसैन्स	की राशि		-	₹17411

28 पदोन्नति पर गलत वेतन निर्धारण करने के परिणामस्वरूप ₹7582 का अधिक भुगतानः— श्रीमति आशा देवी सफाई कर्मचारी व श्री ओम प्रकाश सफाई कर्मचारी को नगर परिषद के कार्यालय आदेश संख्या 707–13 दिनांक 3.4.2008 द्वारा पदोन्नति उपरान्त मूलभूत नियम एफ0आर0 22 (1) (a) (1) के अन्तर्गत पदोन्नति पर अगली वेतन वृद्धि से लाभ लेने के अनूरूप ग्रेड पें+उच्च ग्रेड पे के स्थान पर दिनांक 3.4.08 से 31.12.08 के दौरान अर्थात अगली वेतन वृद्धि दिनांक 1.1.09 से पूर्व तक एक वेतन वृद्धि का लाभ देकर निम्नानुसार ₹7582 का अधिक किया गया है।

क्र0	कर्मचारी का	दिनांक 3.4.08 से 31.12.	दिनांक 3.4.08 से 31.12.08	अधिक
सं0	नाम	08 तक जो वेतन देय	तक जो वेतन भुगतान दिया	भुगतान
		था	गया	की राशि
1	श्रीमति आशा	10660+1650+1477=13787	11030+1650+1522=14202	
	देवी			
	दिनांक 3.4.08	से 30.6.08 तक राशि		1217
	यथोपरि	10660+1650+1970=14280	17030+1650+2029=14709	2574
	दिनांक 1.7.08	से 31.12.08 तक राशि		
		अधिक भुगतान की गई राशि		₹3791
2	श्री ओम प्रकाश	10660+1650+1477=13787	17030+1650+1522=14202	
	दिनांक 30.4.08	से 30.6.08 तक अधिक भुगता	न	1217
	की राशि			
	यथोपरि	10660+1650+1970=14280	11030+1650+2029=14709	
	दिनांक 10.7.08	3 से 31.12.08 तक अधिक व	मुगतान की राशि	2574
		अधिक भुगतान की गई राशि		₹3791
	कुल अधिक भु	गतान की गई राशि ₹3791-	⊦₹ 3791	₹7582

अतः उक्त दानों कर्मचारियों के वेतन निर्धारण का पुनः अवलोकन करते हुये अधिक भुगतान की राशि का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की वसूली करके इसे पालिका निधि में जमा करवाकर अनुपालना से इस विभाग को सूचित किया जाए।

29 श्रीमति आशा देवी सफाई कर्मचारी (सेवा निवृत) को बकाया अर्जित अवकाश पर ₹6838 / – का अधिक भुगतान दर्शाना'–

श्रीमति आशा देवी सफाई कर्मचारी जो दिनांक 30.4.2010 को सेवा निवृत हो चुकी है कि सेवा पंजिका की जांच करने पर पाया गया कि उपरोक्त कर्मचारी को सेवा निवृति की तिथि को कुल 40 दिनों का अर्जित अवकाश देय था जबकि नगर परिषद द्वारा 52 दिन का अर्जित अवकाश दर्शाकर ₹6838 / – का अधिक भुगतान दर्शाया गया है। क्र0सं0 सेवा पंजिका पेज सं0 अधिक कम जमा

1	14		(+)22 दिन		
2	18		(—)10 दिन		
कुल अर्जित अ	अवकाश अधिक दिनो का दर्शाया ग	ाया	(+)12 दिन		
कुल देय अपि	र्मत अवकाश (52—12)		40 दिन		
सेवा निवृति प	गर अर्जित अवकाश की कुल देय र	ाशि	B.P	G.P	+D.A
			11810+	1650+	3634
			17094x40/30=	22792	
कुल भुगतान	योग्य दर्शाई गई राशि		17094x52/30=	29630	
कुल अधिक ज	राशि		₹2963-₹22792	=₹6838	

यद्यपि नगर पालिका कुल्लू द्वारा अंकेक्षण अवधि तक उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया था। अतः परामर्श दिया जाता है कि इस प्रकरण में संस्था स्तर पर आवश्यक छानबीन करके उक्त विवरणानुसार बकाया 40 दिनों के अर्जित अवकाश का भुगतान करना सूनिश्चित किया जाए व अनूपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये।

30 संशोधित वेतनमानों के अन्तर्गत गलत ग्रेड पें का निर्धारण करने के फलस्वरूप श्री सुदर्शन कुमार, सेनेटरी सुपरवाईजर को अवधि 1.1.06 से 30.9.2009 के लिए भुगतान योग्य ₹43455 / – अधिक दर्शाना तथा अवधि 1.10.09 से 31.3.11 तक ₹24657 / – का अधिक भुगतान करनाः–

(i) नगर परिषद द्वारा श्री सुदर्शन कुमार सेनेटरी सुपरवाईजर का संशोधित वेतनमानों के अन्तर्गत ₹1950 / – के स्थान पर ₹2800 / – ग्रेड पे के आधार पर वेतन निर्धारित करने के कारण अवधि 1.4.06 से 30.9.09 तक कुल देय बकाया ₹71915 – ₹10000 = ₹61915 / – दर्शाई गई है जबकि सही ग्रेड पे ₹1950 / – के अनुसार उक्त कर्मचारी को देय ₹28460 – ₹10000 = ₹18460 / – बनती है जिसका वर्णन परिशिष्ट XVIII में दिया गया है। यद्यपि नगर परिषद कुल्लू द्वारा अंकेक्षण अवधि तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है तदापि अनुपालना हेतु दी जाती है कि इस प्रकरण में संस्था स्तर पर पूर्ण छानबीन करके गलत दर्शाई गई ₹61915 / – के स्थान पर केवल ₹18460 / – का ही भुगतान किया जाना स्निश्चित किया जाए।

(ii) इसके अतिरिक्त उक्त कर्मचारी को गलत ग्रेड पे के आधार पर वेतन निर्धारण करने के परिणामस्वरूप उन्हें अवधि 1.10.09 से 31.3.11 के दौरान निम्नानुसार ₹24657 / – का अधिक भुगतान किया गया है। यद्यपि नगर परिषद कुल्लू द्वारा अपने पत्र संख्या एम0सी0के0 / ई0ए0 / 11 – 2776 दिनांक 5.12.2011 के अन्तर्गत सम्बन्धित कर्मचारी को सूचित करते हुए सेवा पंजिका में गलत ग्रेड पे का पुनः निर्धारण करके शुद्धिकरण कर दिया गया है तथा अधिक भुगतान की गई ₹24657 / –का समायोजन उक्त कर्मचारी को ग्रेच्यूटी की भुगतान योग्य ₹422318 / – किया जाना प्रस्तावित किया गया है परन्तु अभी तक यह

समायोजन नहीं किया गया था। अतः अधिक भुगतान की गई ₹24657 / – की वसूली अथवा इसका समायोजन करके इसकी पुष्टि अभिलेख सहित आगामी अंकेक्षण पर करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

अवधि	भुगतान योग्य देय राशि	भुगतान की गई	अधिक
		राशि	भुगतान की
			राशि
	बेन्ड पे+ग्रेड पे+डी०ए०	बेन्ड पे+ग्रेड पे+डी०ए०	
1.10.09 से 31.12.09	1450+1950+4442	14610+2800+4701	3657
1.1.10 से 31.3.2010	14500+1950+5757	14610+2800+6093	3888
1.4.10 से 30.6.10	15000+1950+5932	15140+2800+6279	4011
1.7.10 से 31.12.10	15000+1950+7627	15140+2800+8073	8616
1.1.11 से 31.3.11	15000+1950+8644	1510+2800+9149	4485
	कुल अधिक भुग	तान की राधिा	₹24657

31 संशोधित वेतनमान में गलत वेतन निर्धारण फलस्वरूप ₹87574/–का अधिक भुगतानः–

नगर परिषद कुल्लू के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के 1.1.2006 से संशोधित वेतन निर्धारण मामलों की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि ऐसे कर्मचारियों को जिन्होने अपने पे बेन्ड की उच्चतम सीमा पार कर ली है को उच्च पे बेन्ड प्रधान करते समय सामान्य वेतन वृद्धि के साथ एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया था जबकि संशोधित वेतन अधिसूचना संख्या फिन (पी0आर0) 8 (7) 1/2009 दिनांक 13.10.2009 के अनुसार उक्त कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ देय नहीं था। अतः इस प्रकरण मे संस्था स्तर पर अपेक्षित छानबीन करके निम्नलिखित कर्मचारियों के वेतन का पुनः निर्धारण किया जाये तथा भुगतान की गई राशि की वसूली करके अनुपालना की जॉच आगामी अंकेंक्षण में करवाई जाए।

कर्मचारी का नाम	अवधि	देय वेतन	भुगतान किया गया वेतन	अधिक
				भुगतान
श्री वुद्धि सिंह टेकस गार्ड	1.1.11 से 30.6.11	11410+1400+6533=19343	11800+1400+6732=19932	589X6 3534
	1.7.11 से 31.12.11	11410+1400+7430=20240	11800+1400+7656=20856	616X6 3696
	1.1.12 से 31.3.12	11800+1400+7656=20856	12200+1400+7888=21488	632X3 1896
				9126
श्रीमति कौशल्या देवी सफाई		–यथोपरि–	_	- 9126
कर्मचारी				
श्रीमति बच्चनी देवी सफाई		–यथोपरि–	—	- 9126
कर्मचारी				

श्री जगदीश चन्द सफाई		–यथोपरि–	_	— 9126
कर्मचारी				
श्री प्रीतम चन्द सफाई कर्मचारी		–यथोपरि–	—	- 9126
श्री प्रताप चन्द सफाई कर्मचारी		–यथोपरि–	_	- 9126
श्रीमति शीला देवी I सफाई		–यथोपरि–	_	- 9126
कर्मचारी				
श्री शिव कुमार सफाई कर्मचारी	1.1.11 से 31.1.11	11410+1400+6533=19343	11800+1400+6732=19932	589X1 589
श्री मोजी राम चपड़ासी	1.1.11 से 30.6.11	11410+1400+6533=19343	11800+1400+6732=19932	589X6 3534
	1.7.11 से 31.12.11	11410+1400+7430=20240	11800+1400+7656=20856	616X6 3696
				7230
श्री बालक राम टोल गार्ड	1.1.11 से 30.6.11	10780+1400+6212=18392	11150+1400+6401=18951	559X6 3354
	1.7.11 से 31.12.11	10780+1400+7064=19244	11150+1400+7279=19829	585X6 3510
	1.1.12 से 31.3.12	11150+1400+7279=19829	11530+1400+7499=20429	600X3 1800
				8664
श्री दिनेश जट्टा टेकस गार्ड	1.1.12 से 31.3.12	11150+1400+7279=19829	11530+1400+7499=20429	600X3 1800
श्री शिव चरण सफाई कर्मचारी	1.1.12 से 31.3.12	11130+1400+7267=19797	11510:1400:7488=20398	601X3 1803
श्री खेम चन्द सफाई कर्मचारी	_	–यथोपरि–	_	601X3 1803
श्री काली दास सफाई		–यथोपरि–	_	601X3 1803
कर्मचारी				
				₹87574

32 सेवा निवृत कर्मचारियों को दिए गए लाभों की त्रुटियों के बारे में:-

नगर परिषद कुल्लू में अवधि 1.4.10 से 31.3.12 के दौरान सेवा निवृत हुऐ कर्मचारियों के सेवा निवृति लाभों की गणना करने पर निम्नलिखित मामलों में त्रुटियाँ पाई गई जिन का संस्था स्तर पर पुनः अवलोकन करके विभिन्न प्रकार के लाभा की अधिक भुगतान की राशियों की सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूली की जाये तथा अनुपालना की जॉच आगामी अंकेक्षण में करवाई जाये।

1	श्रीमति पवन रा	णा स0 क्लेव	Date of	Birth			3.11.53
			Date of	Appointr	nent		26.7.86
			Date of	CPF Ded	luction	l	1.3.88
			Date of	Retireme	ent		30.11.11
			Qualify	ing Servi	ce		23.8.29
							47 half years
	P.P.O. No.	UD (H)	B10-1179	दिनांक	द्वारा	निर्धारित	48 half years
	Qualifying Se	ervice					
(i)	Gratuity	Calculated	d Gratuit	y Pa	yable		Excess

			Calculated
	15240+7772/4X48=276144	23012X47 / 4=270391	₹5753
(ii)	Leave Encashment Paid	<u>23012X227</u> 30	174124
	Leave Encashment due		
	Wrong calculation of E.L closed Balance ie 219 days	<u>23012X219</u> 30	167988
		Excess Paid	₹6136
2	श्रीमति जीवन लता स0 क्लेक	Date of Retirement	30.11.11
(i)	Leave Encashment	18710+3600+11378/30X300	336880
	Claculated		
(ii)	As per Actual		
(a)	E.l. from 20-9-04 to 27-9-		
	04 8 days personel file		
	page 33 not deducted from		
	E.L. (A/C)		
(b)	Excess credit of 10 days		
	from 1-1-2001 not		
	deducted	00000000	T
	Leave Encashment Payable	<u>33688X282</u> 30	₹316667
	Excess Leave Encashment		₹20213
	Calculated		
3	Mouji Ram Peon	Date of Birth	12.12.1951
		Date of Joining	18.11.78
		Date of CPF Deduction	1.12.80
		Date of Retirement	31.12.11
		Qualifying Service	31.1.10
(i)	Pension calculated after	B.P.	13200
	allowing Benefit of one	Pension	6600
	increment in maximum of		
	Scale		
	Pension to the calculated	B.P.	12810
	wiithout Benefit of one	Pension	6405
	encrement	Density D	Emer D 1
	Pension Drawn	Pension Due	Excess Paid
	1-1-12 to 31-5-12	6405+3715=10120	308x5=1540

6600+3828=10428

	0000+3828-10428		
(ii)	Gratuity paid after alliwing	13200+6732/4x62	₹308946
	benefit of one increment		
	Gratuity to yhe paid	12810+6533/4x62	₹299817
		Excess paid	₹9129
(iii)	Commuted Pension Paid after allowing benefit of	2640x12x8.194	₹259586
	one increment		
	Commuted Pension to the	2562x12x8.194	₹251916
	paid		
		Excess paid	₹7670
(iv)	Leave encashment +Paid	(13200+7656)x296/30	₹205779
	Leave encashment to the paid	(12810+7430)x296/30	₹199701
	1	Excess Paid	₹6078
4	Shiv Kumar	Date of Birth	10-1-51
		Date of Retirment	31-1-2011
		Qualifying Service	29-1-06
(i)	Pension Calculated after	B.P.	13200
	allowing benefit of one	Pension	6600
	increment on maximum of Sclae		
	Pension to the calculated	B.P. 11410+1400	12810
	without Benefit of one	Pension	6405
	encrement		
	Pension Drawn (₹)	Pension Due (₹)	Excess Paid (₹)
	1-2-11 to 30-6-11	6405+3267=9672	294x5=1470
	1-7-11 to 31-5-12	6405+3715=10120	308x11=3388
	6600+3366=9966		
	6600+3828=10428		
			4858
(ii)	Gratuity paid after alliwing benefit of one increment	(13200+67320)x29/2	₹289014
	Gratuity to be paid	(12810+6533/24x29	₹280474
			₹8540
(iii)	E.l. Show Balance in Service	e Book on D.O. Retirment	12
	S.B.P. 46 Balance 6 days wr	ongly taken	6

17-6-05 not deducted	1
12-5-08 not deducted	1
Total E.I. Balance to be paid	4 days

33 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति बिल में ₹227 / – का अधिक भुगतानः–

नगर परिषद कुल्लू के माह 4/2011 के कर्मचारियों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति भुगतान बिलों की जॉच पड़ताल करने पर पाया गया कि वाउचर संख्या 53 माह 4/2011 द्वारा श्रो निर्मल उपाध्याय को ₹5234/–का चिकित्सा व्यय का भुगतान करते समय बिल संख्या 5693 दिनांक 8.12.10 ₹1513/–में बिल में दिये गये ₹227/–के डिस्काऊंट सहित भुगतान कर दिया गया। अतः उक्त कर्मचारी को किए गए अधिक भुगतान अर्थात ₹227/–की वसूली करके परिषद फंड में जमा करवाइ जाये तथा अनुपालना की जॉच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाये।

34 निर्माण कार्य में गलत गणना के फलस्वरूप अधिक भुगतानः-

नगर परिषद कुल्लू द्वारा अवधि 1.4.10 से 31.3.12 क दौरान करवाये गये निर्माण कार्य "R/O. Retaining Wall near the House of Tika Ram at Chamardi nala" के वाउचर संख्या 36 माह 4/11 की जॉच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित मद में गलत गणना के फलस्वरूप ठेकेदार को ₹329/-का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी सम्बन्धित ठेकेदार से वसूली करके अनुपालना की जॉच आगामी अंकेक्षण में करवाई जाये।

मद	मद का नाम	MB के	गणना	रेट	अधिक
सं0		अनुसार	अनुसार मात्रा	₹	भुगतान
		मात्रा			
4	R.R. Stone masonery with half	70.41	70.2	1720	₹327

stone of approved quality in 1:6

35 विभिन्न निर्माण कार्यों में विचलन (Deviation) व अतिरिक्त मदों (Extra item) को अनुमोदित नहीं करवानाः—

नगर परिषद कुल्लू द्वारा अवधि 1.4.2010 से 31.3.2012 के दौरान करवाए गये विभिन्न निर्माण कार्यों के भुगतान बिलों की जॉच पड़ताल करने पर पाया गया कि निर्माण कार्यों में निष्पादित अतिरिक्त मदों व Deviation को ठोस कारणों सहित सक्षम अधकारी से अनुमोदित नहीं करवाया गया है। अतः निम्नलिखित निर्माण कार्यों मे निष्पादित की गई Extra Items की मदों व निर्माण कार्य में हुई Deviation को सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवाया जाये तथा अनुपालना की जॉच आगामी अंकेक्षण में करवाई जाये।

क्र0	वा0सं0	कार्य का नाम	निष्पादित की गई	मात्रा रेट	राधिा
सं0	माह		Extra item		
1	1 of 3/2011	Repair of Path	(3) Stone Soling	4.30x292	1255
		ancldrain	(4) R.R. Stone	4.96x1077.20	5342
		Dharamshala	masonary 1:6		
		area sultanpur			
			आबंटित कार्य ₹	निष्पादित कार्य ₹	Deviation ₹
			228879	120923	107956
2	54 of	9mp of Path	निष्पादित Extra item	मात्रा रेट	राशि
	3/2011	from Loran to	Exacavation of	8.50x85x45	726
		ward	arain Channel up		
		Sultanpur	to 1.5 mtrs		
			आबंटित कार्य ₹	निष्पादित कार्य ₹	Deviation ₹
			70164	85122	15558
3	55 of	R/O	77129	95494	18365
	3/2011	Boundary			
		Wall in Govt.			
		Middle			
		School at			
		Ghandhi			
		Nager			
4	56 of	C/O Path &	17327	30425	13098
	3/2011	R.Wall near			
		House of Smt.			
		Ahilya Devi			
		at Ghandi			
		Nager MB 28			
		P 18			
<u> </u>				<u> </u>	

36 विलम्ब से किये गये कार्यों के लिये दण्ड की वसूली न करनाः--

(i) रामशीला कुल्लू में नजदोक अशोका ड्राईक्लीनर में पार्किंग के निर्माण कार्य को कुल ₹389447 / – की लागत पर श्री हरभजन सिंह ठेकेदार को नगर परिषद कुल्लू के अवार्ड पत्र संख्या एच0सी0 वर्कस / 10 / 598–604 दिनांक 13.11.10 द्वारा आबंटित किया गया। एग्रीमैन्ट की शर्त 4 के मुताबिक कार्य आबंटन के 15 दिनों के पश्चात कार्य छः महीनों की अवधि में अर्थात यह कार्य माह 5 / 2011 तक पूर्ण किया जाना था व कार्य को उक्त अवधि तक पूर्ण न किये जाने की स्थिति में ठेकेदार से ₹38944 / –की दण्ड राशि की वसूली करने का प्रावधान रखा गया जाए। ठेकेदार द्वारा अंकेक्षण अवधि तक उपरोक्त पार्किंग का कार्य पूर्ण नहीं किया गया था तथा ठेकेदार को द्वितीय चलत बिल के अन्तर्गत वाउचर संख्या 110, माह 29.3.11 में ₹2453574 / – का भुगतान किया गया था। अतः माह जून 2012 तक ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण न किये जाने पर एग्रीमैन्ट की शर्त 4 के मुताबिक दण्ड शूल्क की ₹38944/–की वसूली की जानी अपेक्षित थी। इस कार्य से सम्बन्धित अभिलेख में सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य को निर्धारित समय के पश्चात निपटाने हेत् कोई स्वीकृति भी प्रदान नहीं की गई है। अतः माह जून 2012 तक ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण न किये जाने पर एग्रीमैन्ट की शर्त 4 के मुताबिक दण्ड शुल्क की ₹38944 / – की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त चर्चा के दौरान अंकेक्षण को यह भी बताया गया कि उपरोक्त पार्किंग का निर्माण कार्य पूर्ण होने से पहले ही लोगो द्वारा पार्किंग स्थल मुफ्त में प्रयोग में लाया जा रहा है जबकि नगर परिषद को अपनो कमजोर वित्तीय स्थिति को मध्यनजर रखते हुये निर्माण कार्य को निश्चित समय अवधि में पूर्ण करवाने के पश्चात पार्किंग स्थल की ठेके पर अथवा खुद संचालित करने से आय प्राप्त करनी चाहिये थी। अतः अनुपालना हेतु राय दी जाती है कि उक्त पार्किंग का कार्य शीध्र पूर्ण करवाकर गाड़ियों की पार्किंग को होने वाली आय से शीध्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें। (ii) इसके अतिरिक्त नगर परिषद कुल्लू द्वारा अवधि 1.4.10 से 31.3.12 के दौरान किये गये विभिन्न निर्माण कार्यो की जॉच पडताल करने पर पाया गया कि सम्बन्धित ठेकेदारों से आबंटन पत्र मे निर्धारित समय–सीमा के भीतर कार्य समाप्त नहीं करने के लिये निर्धारित दण्ड की वसूली नहीं की गई। अतः देरी से पूरा किये गये कार्यो के लिये ठेकेदारों से दण्ड की राशि नहीं वसूलने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा दण्ड की वसूली सूनिश्चित करते हुये इस विभाग को अवगत करवाया जाये। विलम्ब से किये गये कार्यो का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:—

<u>वा0सं0</u> माह	कार्य का नाम माप पुस्तिका संख्या पृ० सं०	कार्य आबंटन की तिथि	कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि	कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	विलम्ब कार्य के लिये दण्ड	देय दण्ड राशि
1 of	Repair of Path and	3.9.09	2.11.09	25.4.10	₹2258	22587
3/2011	drain Dharamchala				प्रतिदिन या	
	area Sultanpur MB				22587	
	28 Page 11					
54 of	Improvement of	3.9.09	2.11.09	15.4.10	₹70	7016
3/2011	Path from Loran to				प्रतिदिन या	
	wards Sultanpur MB				₹7016	
	28 P. 7					
56 of	C/O Path and	3.9.09	2.11.09	4.5.10	₹173	1732
3/2011	Retaining Wall near				प्रतिदिन या	
	the House of Smt.				1732	
	Ahilya Devi at					
	Ghandi Nagar					

37 धरोहर राशि को वापिस करने का उचित अभिलेख नहीं रखनाः-

नगर परिषद कुल्लू के अवधि 1.4.10 से 31.3.12 के अभिलेख की जॉच पडताल करने पर पाया गया कि संविदाकारों से विभिन्न कार्यो के एवज में काटी गई धरोहर राशि को वापिस करते समय रोकड़ वही व G.R में प्रविष्टियॉ अंकित नहीं की गई है जिसके कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से दिए गए हैं ऐसा न करने से दोहरे भुगतान की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः धरोहर राशि की वापिसी का भुगतान करने से सम्बन्धित अभिलेख में प्रविष्टियां अंकित करके अनपालना आगामी अंकेक्षण के समय सत्यापन करवाई जाये।

वा0सं0	माह	फर्म का नाम	राशि	
Vr. No 40	3/2011	श्री सोहन लाल C/O Tolets at Hanumani Bagh	10004	
		Ch. No. 115920 दिनांक 16.3.11		
Vr. No. 59	3/2011	मै० स्माईल एन्टरप्राईजिज अखाड़ा कुल्लू G.R.No	10,000	
		30/42 दिनांक 11.12.08		

38 वाउचर संख्या 45 माह 3/2011 ₹26650/-

उक्त वाउचर में स्टील फेवरीकेटर कुल्लू से बिल संख्या 198 के अन्तर्गत ₹7150 / – की स्टील की 150 Kg की जाली बनवाई गई थी। इस वाउचर की जॉच करने पर पाया गया कि उपरोक्त किये गये कार्य को न तो MB में दर्ज किया गया था और न ही इसकी स्टोर रजिस्टर मे प्रविष्टि ईन्द्राज की गई थी। अतः उक्त कार्य को दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना की जॉच आगामी अंकेक्षण में करवाई जाये।

39 वाउचर संख्या 63 माह 3/2011

उक्त वाऊचर द्वारा गुरूद्वारा सभा कुल्लू के समुदायिक भवन निर्माण हेतु ₹100000 / – का भुगतान किया गया जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिलेख में नहीं पाया गया। अतः उपरोक्त निर्माण कार्य का सम्बन्धित संस्था से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके अभिलेख में लगाया जाये तथा अनुपालना की जॉच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाये।

40 पीपल जातर मेले हेतु किये गये अग्रिम भुगतानों से सम्बन्धित समायोजन वाऊचरों को सक्षम अधिकारी से सत्यापित न करना तथा अपेक्षित अभिलेख का रख रखाव न करनाः—

नगर परिषद कुल्लू के अवधि 1.4.10 से 31.3.2012 के अभिलेख की जॉच पड़ताल करने पर पाया गया कि माह 3/11 व 4/11 के दौरान पीपल मेले का आयोजन करवाने व अन्य विभिन्न कार्यो के लिये निम्नलिखित अग्रिम भुगतानों का भुगतान किया गया था जिस के बारे में समायोजन वाचउरों व सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत नहीं करवाए गए तथा अपेक्षित अभिलेख का रख रखाव भी नहीं किया गया। अतः सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त न करके तथा ऐसे सभी भुगतानों के समायोजन वाउचरों के अभिलेख कों सम्भाल कर न रखने

के कारणों को स्पष्ट किया जाये तथा इस प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई करके समायोजन वाउचरों की जांच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाये।

वा0सं0	माह	फर्म का नाम	विवरण	राशि
		कर्मचारी का नाम		
37	3/11	श्री सुरेश कुमार	लिफाफे व टिकट	1000
			हेतु	
38	4 / 11	श्री कमलेश कुमार	क्रिकेट मैच	10000
			आयोजन हेतु	
43	4 / 11	श्री चेत राम ड्राईवर	एचपी—34—4366	15000
			की रिपेयर	
59	4/11	–यथोपरि–	–यथोंपरि–	15000
62	4 / 11	पीपल जात आयोजन हेतु		25000
64	4 / 11	पीपल जात के लिये खान–पान आयोजन		50000
		हेतु श्री अनिल कान्टरैक्ट गान्धी नगर		
69	4/11	पीपल जात आयोजन हेतु श्री पुरिन्द्रर		100000
		कुमार		

41 नगर परिषद कुल्लू द्वारा किए गए विभिन्न भुगतानों हेतु सदन का अनुमोदन तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्रस्तुत न करने बारे:—

नगर परिषद कुल्लू द्वारा अवधि 1.4.10 से 31.3.2012 के दौरान किये गये विभिन्न भुगतानों के अभिलेख की जॉच पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित मामलों में सदन का अनुमोदन व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति नहीं दिखाई गई जिसे प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

वा0सं0	माह	ू फर्म का नाम व उद्देश्य	राशि	टिप्पणी
35	4 / 11	मै० मिनर्वा स्टूडियो कुल्लू	3300	प्रविष्टि सक्षम अधिकारी
		पीपल जात की फोटोग्राफी		की स्वीकृति नहीं
				दिखाई गई
71	4 / 11	खिलाड़ियों को ईनाम वितरित	58900	ईनाम राशि का
		किये गये		अनुमोदन व सक्षम
				अधिकारी की स्वोकृति
56	4 / 11	प्रोफेशनल फीस चार्ट	15000	फीस का सदन द्वारा
		अकाउटैन्ट को भुगतान की गई		अनुमोदन व सक्षम
				अधिकारी की स्वीकृति

42 अग्रिम ₹1954150 / – का समायोजन हेतु शेष पाया जानाः– नगर परिषद कुल्लू द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यो के निष्पादन हेतु कर्मचारियों का अग्रिम राशियां प्रदान की गई थी जिस का ब्यौरा परिशिष्ट XIX में दिया गया है। इन राशियों

का समोयाजन 31.3.12 तक नहीं करवाया गया था। अतः उक्त परिशिष्ट के अनुसार असमायोजित अग्रिम ₹1954150/–के समायोजन हेतु प्रयास किये जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

- 43 लधु आपत्ति विवरणी:— लधु आपत्तियो का निपटारा अंकेक्षण क दौरान स्थल पर ही कर दिया गया।
- 44 निष्कर्षः— गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों के समायोजन हेतु ठोंस कदम उठायें जाने एवं सुदृढ़ लेखांकन प्रणाली हेतु लेखाओं में सुधार की आवश्यकता है।

उप निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009. पृष्ठांकन संख्याः V (13) फिन (एल०ए०डी०) –81–84 दिनांक,03.01.2013 शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

पंजीकृत 1 कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजें।

- 2 निदेशक, शहरी विकास, हि0प्र0, शिमला–171002
- 3 वरिष्ठ उप महालेखाकार (ले० व ह०) हि०प्र० शिमला–171003
- 4 श्री तारा चन्द महन्त, सहायक नियन्त्रक (ले०प०) द्वारा......

उप निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परेशिष्ट I-क

नगर परिषद कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों अवधि 1/1953 से 31.3.2010 के अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/53 से 3/56 1 पैरा–4 अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/56 से 3/57

पैरा–10 (क) अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/58 से 3/59

1	पैरा—8 (2)	अनिर्णीत
2	पैरा–8 (3)	अनिर्णीत
3	पैरा–8 (4)	अनिर्णीत
4	पैरा–8 (6)	अनिर्णीत
5	पैरा—9	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/59 से 3/60 1 पैरा–5 अनिर्णीत

(ङ) परीक्षक स्थानीय निधि लेखा (हि0प्र0) की निरीक्षण रिपोर्ट संख्या (5) (100) 3634 दिनांक 14.11.1961

1 पैरा-1 (1) (4) अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/60 से 3/61

1	पैरा—13 (2) (4)	अनिर्णीत
2	पैरा—16 (3)	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/61 से 3/62

1	पैरा—5	अनिर्णीत
2	पैरा—11 (3)	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/62 से 3/64

1	पैरा–5 (1) (2)	अनिर्णीत
2	पैरा–8 (2) (3)	अनिर्णीत
3	पैरा—10	अनिर्णीत
4	पैरा—10 (1, 2, 3, 8)	अनिर्णीत
5	पैरा—14	अनिर्णीत
6	पैरा—16 (2)	अनिर्णीत

4	אונויעיו טייוט	4/04 (1 3/00
1	पैरा—9 (a)	अनिर्णीत
2	पैरा—11	अनिर्णीत
3	पैरा—11 (a)	अनिर्णीत
4	पैरा—11 (d)	अनिर्णीत
5	पैरा—12 (5)	अनिर्णीत
6	पैरा—13	अनिर्णीत
7	पैरा—14 (ए)	अनिर्णीत
8	पैरा—14 (बी)	अनिर्णीत
9	पैरा—17 (4)	अनिर्णीत
10	पैरा—20 (ए)	अनिर्णीत
11	पैरा—20 (बी)	अनिर्णीत
12	पैरा—24 (2)	अनिर्णीत
13	परा—24 (3)	अनिर्णीत
14	पैरा—24 (4)	अनिर्णीत
15	पैरा—24 (5)	अनिर्णीत
16	पैरा—24 (6)	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/64 से 3/66

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/66 से 3/67

1	पैरा—11 (1)	अनिर्णीत
2	पैरा—11 (2)	अनिर्णीत
3	पैरा—11 (ई)	अनिर्णीत
4	पैरा—15 (1)	अनिर्णीत
5	पैरा—16	अनिर्णीत
6	पैरा—17 (8)	अनिर्णीत
7	पैरा—17 (13)	अनिर्णीत
8	पैरा—18 (3)	अनिर्णीत
9	पैरा—19 (4)	अनिर्णीत
10	पैरा—20 (3)	अनिर्णीत

(ट) उप सचिव (बंजार) की 6/70 तथा परीक्षक स्थानीय निधि लेखा (हि0प्र0) की दिनांक 6.7.1973 की निरीक्षण रिपोर्ट

उक्त निरीक्षण रिपोर्ट अंकेक्षण में पुनः प्रस्तुत नहीं की गई और न ही सटिप्पण उतर तैयार किये गये थे जिस पर तुरन्त कार्यवाही अपेक्षित की जाये।

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/67 से 3	3/71
---------------------------------------	------

पैरा—1	अनिर्णीत
पैरा—11	अनिर्णीत
पैरा—12	अनिर्णीत
पैरा—13	अनिर्णीत
पैरा—16 (2)	अनिर्णीत
पैरा—16 (3)	अनिर्णीत
पैरा—16 (4)	अनिर्णीत
पैरा—16 (5)	अनिर्णीत
पैरा—16 (6)	अनिर्णीत
पैरा—17 (ए)	अनिर्णीत
पैरा—17 (बी) (1) (2)	अनिर्णीत
पैरा—17 (सी)	अनिर्णीत
पैरा—18	अनिर्णीत
पैरा—19	अनिर्णीत
पैरा—20	अनिर्णीत
पैरा—21 (1)	अनिर्णीत
पैरा—21 (2)	अनिर्णीत
पैरा—21 (3)	अनिर्णीत
पैरा—22	अनिर्णीत
पैरा—23	अनिर्णीत
पैरा—25	अनिर्णीत
पैरा—26	अनिर्णीत
पैरा—27	अनिर्णीत
	u $ u $ $ u$

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/71 से 3/74

1	पैरा–8	अनिर्णीत
2	पैरा—13	अनिर्णीत
3	पैरा—15 (1)	अनिर्णीत
4	पैरा—15 (2)	अनिर्णीत
5	पैरा—15 (3)	अनिर्णीत
6	पैरा—15 (5)	अनिर्णीत

7	पैरा—17 (ए)	अनिर्णीत
8	पैरा—17 (बी)	अनिर्णीत
9	पैरा—17 (सी)	अनिर्णीत
10	पैरा—17 (डी)	अनिर्णीत
11	पैरा—17 (ई)	अनिर्णीत
12	पैरा—17 (एफ)	अनिर्णीत
13	पैरा—17 (जी)	अनिर्णीत
14	पैरा—17 (2)	अनिर्णीत
15	पैरा—17 (3)	अनिर्णीत
16	पैरा—20	अनिर्णीत
17	पैरा—20 (3)	अनिर्णीत
18	पैरा—24 (2)	अनिर्णीत
19	पैरा—24 (6)	अनिर्णीत
20	पैरा—24 (7)	अनिर्णीत
21	पैरा—24 (8)	अनिर्णीत
22	पैरा—25	अनिर्णीत

- (ढ) 1 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/74 से 3/76
 - 2 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/76 से 3/78
 - 3 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/78 से 3/80

उक्त अंकेक्षण अवधि के अंकेक्षण प्रतिवेदनों को इस बार भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही उन पर कोई अपेक्षित कायवाही की गई थी।

(ण) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/80 से 3/82

1	पैरा—7 (2)	अनिर्णीत
2	पैरा—9 (21)	अनिर्णीत

(त) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/82 से 3/83

पैरा–3 (ए) अनिर्णीत

2	पैरा—4	अनिर्णीत
3	पैरा—5	अनिर्णीत
4	पैरा—6	अनिर्णीत
5	पैरा—7	अनिणीत
6	पैरा–8	अनिर्णीत
7	पैरा—9	अनिर्णीत
8	पैरा—10	अनिर्णीत
9	पैरा—11	अनिर्णीत
10	पैरा—12	अनिर्णीत
11	पैरा—13	अनिर्णीत
12	पैरा—14 (1)	अनिर्णीत
13	पैरा—14 (2)	अनिर्णीत
14	पैरा—14 (3)	अनिर्णीत
15	पैरा—14 (4)	अनिर्णीत
16	पैरा—14 (6)	अनिर्णीत
17	पैरा—14 (7)	अनिर्णीत
18	पैरा—14 (ए)	अनिर्णीत
19	पैरा—14 (बी)	अनिर्णीत
20	पैरा—14 (8) (बी)	अनिर्णीत
21	पैरा—14 (9)	अनिर्णीत
22	पैरा—14 (10)	अनिर्णीत
23	पैरा—15	अनिर्णीत
24	पैरा—16	अनिर्णीत
25	पैरा—17	अनिर्णीत
26	पैरा—18	अनिर्णीत
27	पैरा—19 (ए) (2) (3)	अनिर्णीत
28	पैरा—19 (बी)	अनिर्णीत
29	पैरा—20	अनिर्णीत
30	पैरा—21	अनिर्णीत
31	पैरा—22	अनिर्णीत

(द) अंकेक्षण प्रतिवेंदन अवधि 4/83 से 3/84

1	पैरा–3 (ए बी)	अनिर्णीत
2	पैरा—4	अनिर्णीत
3	पैरा—5 (ए)	अनिर्णीत

4	पैरा–5 (सी)	अनिर्णीत
5	पैरा—5 (जी) (1, 2)	अनिर्णीत
6	पैरा—6 (2) (2)	अनिर्णीत
7	पैरा—7 (1 से 6)	अनिर्णीत
8	पैरा–9 (1, 2)	अनिर्णीत
9	पैरा—10 (1, 2)	अनिर्णीत
10	पैरा—11	अनिर्णीत
11	पैरा–12	अनिर्णीत
12	पैरा—13 (ए)	अनिर्णीत
13	पैरा—13 (बी) (1 2)	अनिर्णीत
14	पैरा—14 (ए)	अनिर्णीत
15	पैरा—15 (ए से एफ)	अनिर्णीत
16	पैरा—16 (1, 2, 3)	अनिर्णीत
17	पैरा—17 (ए, बी)	अनिर्णीत
18	पैरा—18 (ए, बी)	अनिर्णीत
19	पैरा—18 (एफ)	अनिर्णीत
20	पैरा—19 (1, 2, 3)	अनिर्णीत
21	पैरा—23	अनिर्णीत
22	पैरा—24 (1) (ए, बी, सी)	अनिर्णीत
23	पैरा—24 (2, 3, 4)	अनिर्णीत
24	पैरा—25 (बी)	अनिर्णीत
25	पैरा–25 (डी, ई)	अनिर्णीत

(ध) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 25.2.91 से 31.3.92

पैरा–3 (ख)	अनिर्णीत
पैरा–4 (क) (5)	अनिर्णीत
पैरा—4 (क) (7) (8)	अनिर्णीत
पैरा—7 (ग)	अनिर्णीत
पैरा–8 (1) (2)	अनिर्णीत
पैरा—9	अनिर्णीत
पैरा—10	अनिर्णीत
पैरा—11	अनिर्णीत
पैरा—12 (1) (2)	अनिर्णीत
पैरा—13 (3)	अनिर्णीत
पैरा—15 (क)	अनिर्णीत
	पैरा–4 (क) (5) पैरा–4 (क) (7) (8) पैरा–7 (ग) पैरा–8 (1) (2) पैरा–9 पैरा–10 पैरा–11 पैरा–12 (1) (2) पैरा–13 (3)

12	पैरा—15 (ख) (1, 2)	अनिर्णीत
13	पैरा—15 (ख) (6)	अनिर्णीत
14	पैरा—15 (ख) (9 से 13)	अनिर्णीत
15	पैरा—18	अनिर्णीत
16	पैरा—19	अनिर्णीत
17	पैरा—20	अनिर्णीत
18	पैरा—22 (1, 2, 3)	अनिर्णीत
19	पैरा—25	अनिर्णीत
20	पैरा—27 (2, 3)	अनिर्णीत

(न) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/93

1	पैरा–3	अनिर्णीत
2	पैरा–8 (ख, ग)	अनिर्णीत
3	पैरा—9	अनिर्णीत
4	पैरा—10	अनिर्णीत
5	पैरा—11	अनिर्णीत
6	पैरा—12 (1, 2)	अनिर्णीत
7	पैरा—13 (1, 2)	अनिर्णीत
8	पैरा—14	अनिर्णीत
9	पैरा—15 (1, 3)	अनिर्णीत
10	पैरा—16 (क)	अनिर्णीत
11	पैरा—16 (ख) (3, 5, 7)	अनिर्णीत
12	पैरा—16 (ख) 11	अनिर्णीत
13	पैरा—17 (1 से 4)	अनिर्णीत
14	पैरा—18	अनिर्णीत
15		0 0
10	पैरा—19 (क, ख)	अनिर्णीत
16	परा—19 (क, ख) पैरा—21	अनिर्णीत अनिर्णीत

(प) निरीक्षण प्रतिवेदन संयुक्त निदेीक स्थानीय निधि लेखा (हि0प्र0)

1	पैरा—1	अनिर्णीत
2	पैरा–3	अनिर्णीत
3	पैरा–4	अनिर्णीत
4	पैरा—5	अनिर्णीत

क्षण	प्रतिवदन अवधि 4/93 से 3,	/ 94
1	पैरा–3 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा–8 (क)	अनिर्णीत
3	पैरा–8 (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा–8 (ग)	अनिर्णीत
5	पैरा—9	अनिर्णीत
6	पैरा—10	अनिर्णीत
7	पैरा—11	अनिर्णीत
8	पैरा—12	अनिर्णीत
9	पैरा—13	अनिर्णीत
10	पैरा—14	अनिणीत
11	पैरा—15 (ख)	अनिर्णीत
12	पैरा—16 (क)	अनिर्णीत
13	पैरा—16 (ख) (1, 2, 3, 4, 6)	अनिर्णीत
14	पैरा—17 (1, 2, 3)	अनिर्णीत
15	पैरा—18	अनिर्णीत
16	पैरा—19	अनिर्णीत
17	पैरा—20	अनिर्णीत
18	पैरा–21 (2)	अनिर्णीत
19	पैरा—23 (2)	अनिर्णीत
20	पैरा—24 (1, 2)	अनिर्णीत
21	पैरा—25 (2, 3)	अनिर्णीत

(फ) अंकेक्षण प्रतिवेंदन अवधि 4/93 से 3/94

(ब) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/98

1	पैरा—3 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा–7 (क)	अनिर्णीत
3	पैरा–7 (ख)	अनिर्णीत

4	पैरा–7 (ग)	अनिर्णीत
5	पैरा–7 (घ)	अनिर्णीत
6	पैरा–8	अनिर्णीत
7	पैरा–9	अनिर्णीत
8	पैरा—10 (2)	अनिर्णीत
9	पैरा—11	अनिर्णीत
10	पैरा—12 (1)	अनिर्णीत
11	पैरा—12 (2)	अनिर्णीत
12	पैरा—13	अनिर्णीत
13	पैरा—14 (1)	अनिर्णीत
14	पैरा—14 (2)	अनिर्णीत
15	पैरा—14 (3)	अनिर्णीत
16	पैरा—14 (5)	अनिर्णीत
17	पैरा—14 (6)	अनिर्णीत
18	पैरा—14 (7)	अनिर्णीत
19	पैरा—14 (8)	अनिर्णीत
20	पैरा—14 (9)	अनिर्णीत
21	पैरा—14 (10)	अनिर्णीत
22	पैरा—14 (11)	अनिर्णीत
23	पैरा—14 (12)	अनिर्णीत
24	पैरा—14 (13)	अनिर्णीत
25	पैरा—14 (14)	अनिर्णीत
26	पैरा—14 (15)	अनिर्णीत
27	पैरा—14 (16)	अनिर्णीत
28	पैरा—14 (17) (1)	अनिर्णीत
29	पैरा—14 (17) (2)	अनिर्णीत
30	पैरा—14 (18)	अनिर्णीत
31	पैरा—14 (19) (1)	अनिर्णीत
32	पैरा—14 (19) (2)	अनिर्णीत
33	पैरा—14 (20) (1) (2)	अनिर्णीत
34	पैरा—14 (21)	अनिर्णीत
35	पैरा—14(22)	अनिर्णीत
36	पैरा—14 (23)	अनिर्णीत
37	पैरा—14 (24)	अनिर्णात
38	पैरा—14 (25)	अनिर्णीत

पैरा–14	(26)	अनिर्णीत
पैरा—14	(27)	अनिर्णीत
पैरा—14	(28)	अनिर्णीत
पैरा—14	(29)	अनिर्णीत
पैरा—14	(30) (1, 2)	अनिर्णीत
पैरा—14	(31)	अनिर्णीत
पैरा—14	(32)	अनिर्णीत
पैरा—14	(33)	अनिर्णीत
पैरा—14	(35)	अनिर्णीत
पैरा—14	(37)	आंशिक निर्णीत
पैरा—14	(38)	अनिर्णीत
पैरा—14	(41)	आंशिक निर्णीत
पैरा—16	(5)	अनिर्णीत
पैरा—17	(क)	आंशिक निर्णीत
पैरा—17	(ख) (2)	अनिर्णीत
पैरा—17	(ग) (2)	अनिर्णीत
पैरा—17	(ग) (3)	अनिर्णीत
पैरा—17	(घ)	अनिर्णीत
पैरा—18		अनिर्णीत
पैरा—19	(1)	अनिर्णीत
पैरा—19	(2)	अनिर्णीत
पैरा—19	(3)	अनिर्णीत
पैरा—19	(4)	अनिर्णीत
पैरा–20	(1)	आंशिक निर्णीत
पैरा–20	(2)	अनिर्णीत
पैरा—20	(3)	अनिर्णीत
पैरा—20	(4)	अनिर्णीत
परा—20	(5)	अनिर्णीत
पैरा–21		अनिर्णीत
पैरा–22	(1)	अनिर्णीत
पैरा–22	(2)	अनिर्णीत
पैरा–22	(5) (1, 2, 3, 4)	अनिर्णीत
पैरा–22	(6)	अनिर्णीत
पैरा–22	(7)	अनिर्णीत
पैरा–23		अनिर्णीत
	पैरा–14पैरा–14पैरा–14पैरा–14पैरा–14पैरा–14पैरा–14पैरा–14पैरा–14पैरा–17पैरा–17पैरा–17पैरा–17पैरा–17पैरा–17पैरा–17पैरा–17पैरा–17पैरा–17पैरा–17पैरा–17पैरा–17पैरा–17पैरा–17पैरा–17पैरा–17पैरा–19पैरा–19पैरा–19पैरा–20पैरा–20पैरा–20पैरा–20पैरा–21पैरा–22पैरा–22पैरा–22पैरा–22पैरा–22पैरा–22पैरा–22	पैरा-14(29)पैरा-14(30) (1, 2)पैरा-14(31)पैरा-14(32)पैरा-14(33)पैरा-14(35)पैरा-14(37)पैरा-14(37)पैरा-14(37)पैरा-14(41)पैरा-17(क)पैरा-17(क)पैरा-17(क)पैरा-17(क)पैरा-17(क)पैरा-17(क)पैरा-17(क)पैरा-17(क)पैरा-17(क)पैरा-17(क)पैरा-17(क)पैरा-19(1)पैरा-19(2)पैरा-19(3)पैरा-20(1)पैरा-20(2)पैरा-20(3)पैरा-20(3)पैरा-20(5)पैरा-21पैरा-22पैरा-22(1)पैरा-22(5)पैरा-22(7)

74	पैरा—24	अनिर्णीत
75	पैरा—25	अनिर्णीत
76	पैरा—26 (1)	अनिर्णीत
77	पैरा—26 (2)	अनिर्णीत
78	पैरा—26 (3)	अनिर्णीत
79	पैरा—26 (4)	अनिर्णीत
80	पैरा—26 (5)	अनिर्णीत
81	पैरा—26 (6)	अनिर्णीत
82	पैरा—26 (7)	अनिर्णीत

(भ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/2001

, ,	
पैरा–3 (क)	अनिर्णीत
पैरा–5	अनिर्णीत
पैरा–6 (क)	अनिर्णीत
पैरा—6 (ख)	अनिर्णीत
पैरा–6 (घ)	अनिर्णीत
पैरा–7 (क)	अनिर्णीत
पैरा–7 (ख)	अनिर्णीत
पैरा–8 (क)	अनिर्णीत
पैरा–8 (ख)	अनिर्णीत
पैरा–8 (ग)	अनिर्णीत
पैरा—9	अनिर्णीत
पैरा—10	अनिर्णीत
पैरा—11 (क)	अनिर्णीत
पैरा—11 (ख)	अनिर्णीत
पैरा–12 (क)	आंशिक निर्णीत
पैरा—13	अनिर्णीत
पैरा—14 (क)	अनिर्णीत
पैरा—14 (ख)	अनिर्णीत
पैरा—14 (ग)	अनिर्णीत
पैरा—14 (घ) (1)	अनिर्णीत
पैरा—14 (घ) (2)	अनिर्णीत
पैरा—14 (ङ)	अनिर्णीत
पैरा—14 (छ) (2)	अनिर्णीत
पैरा—14 (झ) (1)	अनिर्णीत
	पैरा-5पैरा-6 (क)पैरा-6 (ख)पैरा-6 (घ)पैरा-7 (क)पैरा-7 (ख)पैरा-8 (क)पैरा-8 (क)पैरा-8 (ख)पैरा-8 (ग)पैरा-10पैरा-11 (क)पैरा-11 (क)पैरा-12 (क)पैरा-14 (ख)पैरा-14 (ख)पैरा-14 (ख)पैरा-14 (छ)पैरा-14 (छ) (1)पैरा-14 (छ) (2)

25	पैरा—14 (ञ)	अनिर्णीत
26	पैरा—14 (त)	अनिर्णीत
27	पैरा—14 (थ)	अनिर्णीत
28	पैरा—14 (द)	अनिर्णीत
29	पैरा—15 (1)	अनिर्णीत
30	पैरा—15 (2) (1, 2, 3, 5, 6, 7)	आंशिक निर्णीत
31	पैरा—16 (2)	अनिर्णीत
32	पैरा—17	आंशिक निर्णीत
33	पैरा—18 (1)	अनिर्णीत
34	पैरा—18 (2)	अनिर्णीत
35	पैरा—18 (3)	अनिर्णीत
36	पैरा—19 (1)	अनिर्णीत
37	पैरा—19 (2)	अनिर्णीत
38	पैरा—20 (1)	अनिर्णीत
39	पैरा—20 (2)	अनिर्णीत

(म) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/01 से 3/2007

1	पैरा—1	अनिर्णीत
2	पैरा—2	अनिर्णीत
3	पैरा—4 (a)	अनिर्णीत
4	पैरा—4 (b)	अनिर्णीत
5	पैरा–4 (c) (i) से (iv)	अनिर्णीत
6	पैरा—4 (c) (1 ,2)	अनिर्णीत
7	पैरा—4 (d)	अनिर्णीत
8	पैरा—4 (e)	अनिर्णीत
9	पैरा—4 (f)	अनिर्णीत
10	पैरा—4 (g)	अनिर्णीत
11	पैरा—4 (h)	अनिर्णीत
12	पैरा—4 (i)	अनिर्णीत
13	पैरा—4 (j)	अनिर्णीत
14	पैरा—4 (k)	अनिर्णीत
15	पैरा—4 (l)	अनिर्णीत
16		-0 a
	पैरा—4 (m)	अनिर्णीत
17	परा—4 (m) पैरा—4 (n)	आनणात अनिर्णीत

19	पैरा—4 (p)	अनिर्णीत
20	पैरा—4 (q)	अनिर्णीत
21	पैरा—4 (r)	अनिर्णीत
22	पैरा—5 (a)	अनिर्णीत
23	पैरा—5 (b)	अनिर्णीत
24	पैरा—5 (c)	अनिर्णीत
25	पैरा—5 (d)	अनिर्णीत
26	पैरा—5 (e)(i)	अनिर्णीत
27	पैरा—5 (e)(ii)	अनिर्णीत
28	पैरा—5 (e) (iii)	अनिर्णीत
29	पैरा—5 (f)	अनिर्णीत
30	पैरा—5 (g)	अनिर्णीत
31	पैरा—5 (h)	अनिर्णीत
32	पैरा—6 (a)	अनिर्णीत
33	पैरा—6 (b)	अनिर्णीत
34	पैरा—6 (c)	अनिर्णीत
35	पैरा—6 (d)	अनिर्णीत
36	पैरा—6 (e)	अनिर्णीत
37	पैरा—6 (f)	अनिर्णीत
38	पैरा—6 (g)	अनिर्णीत
39	पैरा—6 (h)	अनिर्णीत
40	पैरा—6 (i)	अनिर्णीत
41	पैरा—6 (j)	अनिर्णीत
42	पैरा—6 (k)	अनिर्णीत
43	पैरा—6 (l)	अनिर्णीत
44	पैरा—6 (m)	अनिर्णीत
45	पैरा—6 (n)	अनिर्णीत
46	पैरा—6 (o)	अनिर्णीत
47	पैरा—6 (p)	अनिर्णीत
48	पैरा—6 (q)	अनिर्णीत
49	पैरा—6 (r)	अनिर्णीत
50	पैरा—6 (s)	अनिर्णीत
51	पैरा—6 (t)	अनिर्णीत
52	पैरा—6 (u)	अनिर्णीत
53	पैरा—6 (v)	अनिर्णीत

54	पैरा—6 (w)	अनिर्णीत
55	पैरा—6 (x)	अनिर्णीत
56	पैरा—6 (y)	अनिर्णीत
57	पैरा—6 (z)	अनिर्णीत
58	पैरा—6 (A)	अनिर्णीत
59	पैरा—6 (B)	अनिर्णीत
60	पैरा–6 (C) (क ख ग)	अनिर्णीत
61	पैरा–6 (D)	अनिर्णीत
62	पैरा—6 (E)	अनिर्णीत
63	पैरा—6 (F)	अनिर्णीत
64	पैरा–6 (G)	अनिर्णीत
65	पैरा—6 (H)	अनिर्णीत
66	पैरा—6 (I)	अनिर्णीत
67	पैरा—6 (J)	अनिर्णीत
68	पैरा—6 (K)	अनिर्णीत
69	पैरा—6 (L)	अनिर्णीत
70	पैरा—6 (M)	अनिर्णीत
71	पैरा—6 (N)	अनिर्णीत
72	पैरा–6 (O)	अनिर्णीत
73	पैरा—6 (P)	अनिर्णीत
74	पैरा–6 (Q)	अनिर्णीत
75	पैरा–6 (R)	अनिर्णीत
76	पैरा–6 (S)	अनिर्णीत
77	पैरा–6 (T)	अनिर्णीत
78	पैरा–6 (U)	अनिर्णीत
79	पैरा–6 (V)	अनिर्णीत
80	पैरा–6 (V) (क ख ग घ)	अनिर्णीत
81	पैरा–6 (X)	अनिर्णीत
82	पैरा–6 (Y)	अनिर्णीत
83	पैरा–6 (Z)	अनिर्णीत
84	पैरा—6 (a-1)	अनिर्णीत
85	पैरा—6 (a-2)	अनिर्णीत
86	पैरा–6 (b-1)	अनिर्णीत
87	पैरा–6 (c-1)	अनिर्णीत
88	पैरा–6 (d-1)	अनिर्णीत

89	पैरा–6	(e-1) (क से छ)	अनिर्णीत
90	पैरा–6	(f-1)	अनिर्णीत
91	पैरा–6	(g-1)	अनिर्णीत
92	पैरा–6	(h-1)	अनिर्णीत
93	पैरा–6	(i-1)	अनिर्णीत
94	पैरा–6	(j-1)	अनिर्णीत
95	पैरा–6	(k-1)	अनिर्णीत
96	पैरा–6	(1-1)	अनिर्णीत
97	पैरा–6	(m-1)	अनिर्णीत
98	पैरा–6	(n-1)	अनिर्णीत
99	पैरा–6	(O-1)	अनिर्णीत
100	पैरा–6	(P-1)	अनिर्णीत
101	पैरा–6	(Q-1)	अनिर्णीत
102	पैरा–6	(R-1)	अनिर्णीत
103	पैरा–6	(S-1)	अनिर्णीत
104	पैरा–6	(T-1)	अनिर्णीत
105	पैरा–6	(U-1)	अनिर्णीत
106	पैरा–6	(V-1)	अनिर्णीत
107	पैरा–6	(W-1)	अनिर्णीत
108	पैरा–6	(X-1)	अनिर्णीत
109	पैरा–6	(Y-1)	अनिर्णीत
110	पैरा–6	(Z-1)	अनिर्णीत
111	पैरा–6	(i)	अनिर्णीत
112	पैरा–6	(ii)	अनिर्णीत
113	पैरा–6	(iii)	अनिर्णीत
114	पैरा–7	(a)	अनिर्णीत
115	पैरा–7	(b)	अनिर्णीत
116	पैरा–7	(c)	अनिर्णीत
117	पैरा–7	(d)	अनिर्णीत
118	पैरा–7	(e)	अनिर्णीत
119	पैरा–7	(f)	अनिर्णीत
120	पैरा–7	(g)	अनिर्णीत
121	पैरा–7	(h)	अनिर्णीत
122	पैरा–7	(i)	अनिर्णीत
123	पैरा–7	(j)	अनिर्णीत

124	पैरा–7	(k)	अनिर्णीत
125	पैरा–7	(1)	अनिर्णीत
126	पैरा–7	(m)	अनिर्णीत
127	पैरा–7	(n) (a, b)	अनिर्णीत
128	पैरा–7	(o)	अनिर्णीत
129	पैरा–7	(p)	अनिर्णीत
130	पैरा–7	(q)	अनिर्णीत
131	पैरा–8	(a)	अनिर्णीत
132	पैरा–8	(b)	अनिर्णीत
133	पैरा–8	(c)	अनिर्णीत
134	पैरा–8	(d)	अनिर्णीत
135	पैरा–8	(d) $(1, 2, 3, 4, 5)$	अनिर्णीत
136	पैरा–8	(d) (6) (1, 2, 3)	अनिर्णीत
137	पैरा–8	(e) (1, 2)	अनिर्णीत
138	पैरा—9	(a)	अनिर्णीत
139	पैरा—9	(b)	अनिर्णीत
140	पैरा–9	(c)	अनिर्णीत
141	पैरा–9	(d)	अनिर्णीत
142	पैरा–9	(e)	अनिर्णीत
143	पैरा—9	(f)	अनिर्णीत
144	पैरा–9	(g)	अनिर्णीत
145	पैरा–9	(h) (i) से (iv)	अनिर्णीत

(य) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2010

1	पैरा–3	अनिर्णीत
2	पैरा—4	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (क)	अनिर्णीत
4	पैरा–4 (ख)	अनिर्णीत
5	पैरा–4 (ग)	अनिर्णीत
6	पैरा–4 (घ)	अनिर्णीत
7	पैरा–4 (ङ)	अनिर्णीत
8	पैरा—4 (च)	अनिर्णीत
9	पैरा–4 (छ)	अनिर्णीत
10	पैरा—5	अनिर्णीत
11	पैरा–5 (क)	अनिर्णीत

12	पैरा–5 (ख)	अनिर्णीत
13	पैरा–5 (ग)	अनिर्णीत
14	पैरा–6 (1)	अनिर्णीत
15	पैरा–6 (2)	अनिर्णीत
16	पैरा—6 (3)	अनिर्णीत
17	पैरा—6 (4)	अनिर्णीत
18	पैरा–6 (5)	अनिर्णीत
19	पैरा–6 (6)	अनिर्णीत
20	पैरा–6 (7)	निर्णीत (सम्बन्धित अभिलेख की पुष्टि कर ली गई)
21	पैरा–6 (8)	अनिर्णीत
22	पैरा–6 (9)	अनिर्णीत
23	पैरा–6 (10)	अनिर्णीत
24	पैरा–6 (11)	अनिर्णीत
25	पैरा–6 (12)	अनिर्णीत
26	पैरा–7	अनिर्णीत
27	पैरा—7 (i)	अनिर्णीत
28	पैरा—7 (ii)	अनिर्णीत
29	पैरा–7 (2)	अनिर्णीत
30	पैरा–7 (3)	अनिर्णीत
31	पैरा—7 (4)	अनिर्णीत
32	पैरा–7 (5)	अनिर्णीत
33	पैरा–8 (1)	अनिर्णीत
34	पैरा–8 (2)	अनिर्णीत
35	पैरा–8 (3)	अनिर्णीत
36	पैरा—8 (4)	अनिर्णीत
37	पैरा–8 (5)	अनिर्णीत
38	पैरा–8 (6)	अनिर्णीत
39	पैरा–8 (6) (क)	अनिर्णीत
40	पैरा–8 (6) (ख)	अनिर्णीत
41	पैरा—8 (6) (ग)	अनिर्णीत
42	पैरा–8 (7)	अनिर्णीत
43	पैरा–8 (7) (क)	अनिर्णीत
44	पैरा–8 (7) (ख)	अनिर्णीत
45	पैरा–8 (7) (ग)	अनिर्णीत
46	पैरा–8 (7) (घ)	अनिर्णीत

47	पैरा–8 (7) (ङ)	अनिर्णीत
48	पैरा–8 (8)	अनिर्णीत
49	पैरा–8 (8) (क)	अनिर्णीत
50	पैरा–8 (8) (ख)	अनिर्णीत
51	पैरा–8 (8) (ग)	अनिर्णीत
52	पैरा–8 (8) (घ)	अनिर्णीत
53	पैरा–8 (9)	अनिर्णीत
54	पैरा–8 (10)	अनिर्णीत
55	पैरा–8 (11)	अनिर्णीत
56	पैरा–8 (12)	अनिर्णीत
57	पैरा– 8 (13)	अनिर्णीत
58	पैरा–8 (13) (क)	अनिर्णीत
59	पैरा–8 (13) (ख)	अनिर्णीत
60	पैरा—8 (13) (ग)	अनिर्णीत
61	पैरा–8 (13) (घ)	अनिर्णीत
62	पैरा–8 (13) (ङ)	अनिर्णीत
63	पैरा–8 (14)	अनिर्णीत
64	पैरा—8 (15)	अनिर्णीत
65	पैरा—8 (15) (क)	अनिर्णीत
66	पैरा–8 (15) (ख)	अनिर्णीत
67	पैरा—8 (15) (ग)	अनिर्णीत
68	पैरा—8 (16)	अनिर्णीत
69	पैरा–8 (16) (क)	अनिर्णीत
70	पैरा–8 (16) (ख)	अनिर्णीत
71	पैरा—8 (17)	अनिर्णीत
72	पैरा—8 (18)	अनिर्णीत
73	पैरा—8 (19)	अनिर्णीत
74	पैरा–8 (20)	अनिर्णीत
75	पैरा–8 (21)	अनिर्णीत
76	पैरा–8 (22)	अनिर्णीत
77	पैरा–8 (23)	अनिर्णीत
78	पैरा–8 (23) (क)	अनिर्णीत
79	पैरा–8 (23) (ख)	अनिर्णीत
80	पैरा–8 (23) (ग)	अनिर्णीत
81	पैरा–8 (24)	अनिर्णीत

पैरा–8 (25)	अनिर्णीत
पैरा–9 (1)	अनिर्णीत
पैरा–9 (2)	अनिर्णीत
पैरा–9 (2) (क)	अनिर्णीत
पैरा–9 (2) (ख)	अनिर्णीत
पैरा–9 (3)	अनिर्णीत
पैरा–9 (4)	अनिर्णीत
पैरा–9 (5)	अनिर्णीत
पैरा–9 (6)	अनिर्णीत
पैरा—9 (7)	अनिर्णीत
पैरा–9 (8)	अनिर्णीत
पैरा–9 (क)	अनिर्णीत
पैरा–9 (ख)	अनिर्णीत
पैरा—10 (1)	अनिर्णीत
पैरा—10 (2)	अनिर्णीत
पैरा—10 (3)	अनिर्णीत
पैरा—10 (4)	अनिर्णीत
पैरा—10 (5)	अनिर्णीत
पैरा—11 (1)	अनिर्णीत
पैरा—11 (2) (क)	अनिर्णीत
पैरा—11 (2) (ख)	अनिर्णीत
पैरा—11 (3)	अनिर्णीत
पैरा—11 (4) (क)	अनिर्णीत
पैरा—11 (4) (ख)	अनिर्णीत
पैरा—12	अनिर्णीत
पैरा—13	अनिर्णीत
	u पैरा-9 (1) u पैरा-9 (2) (क) u पैरा-9 (2) (ख) u पैरा-9 (3) u पैरा-9 (3) u पैरा-9 (5) u पैरा-9 (6) u पैरा-9 (6) u पैरा-9 (7) u पैरा-9 (8) u पैरा-9 (8) u पैरा-9 (ख) u पैरा-10 (1) u पैरा-10 (2) u पैरा-10 (2) u पैरा-10 (3) u पैरा-10 (4) u परा-11 (1) u परा-11 (2) (ख) u परा-11 (2) (ख) u परा-11 (3) u परा-11 (4) (ख) u परा-11 (4) (ख) u परा-11 (4) (ख)